to Rs. 1 lakh. But is it going to reduce the cases? What is the condition in the lower courts? What is the condition even in the Supreme Court? So many cases are pending and people do not get justice for years together.

Another point is this. I would like to support my hon. friend, Shri Shiva Chandra Jha, when he said that justice should not be so expensive. Now what is happening? If you go to the High Court, unless you engage a top lawyer who is well known for his legal practice, etc., the case will not be heard even ; it may be dismissed at the very initial stage. If that is the standard, I do not know how poor persons like many of the government employees or even non-government employees who are fighting the big bosses in the private sector and also fighting the Government for getting justice, can possibly approach it. As you know, under article 226, an employee who has been denied justice, natural justice or social justice, can possibly approach the High Court ; he can move a writ in the High Court. Unless he goes to Mr. N. C. Chatterjee or Mr. Setalvad or some eminent lawyer, there is very possibility that the case may not be heard and it may be dismissed.

A solemn promise was made in this House by the former Law Minister, Shri A. K. Sen, that free legal aid would be given to the poor people. I want to know where is that scheme. Even a condemned prisoner, if he wants to go to the Supreme Court for appeal, is not given the top lawyer. And if be wants to engage a top lawyer, he has to pay through his nose, he has to mortgage his property, his wife's ornaments have to be sold, he has to beg or borrow or steel. Now what has happened to that scheme which the former Law Minister has promised? We were promised that the scheme would be implemented very soon. I want to know from the hon Minister what has happened to that.

With these words, I support the Bill. This may reduce the burden of the High Court, but some other measures have also to be found so that the burden of the High Court may be still reduced and the common man gets justice in time without having to wait for some years.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): When the original civil jurisdiction of the High Court was sought to be raised, Government consulted the Chief Justice of the High Court and also the Chief Justice of the Supreme Court. As a matter of fact, this idea emanated from the Chief Justice of the Delhi High Court. Hon. members have given amendments to the effect that it should be raised to Rs. 1 lakh because the limit would be too low. But the lower courts would be burdened with more work which we want to avoid. We are also following an all-India pattern in this. In the Bombay City, the civil jurisdiction is Rs. 10,000. In Calcutta it is also Rs. 10,000 and in Bombay this can be enhanced upto Rs. 25,000. In Madras the State Government has the power to enhance the jurisdiction of the City Civil Court upto Rs. 50,000.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may continue his speech tomorrow. It is 5 O'clock now. We shall take up the discussion under Rule 193.

17.00 hrs.

DISCUSSION RE. SCHOLARSHIPS FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES STUDENTS

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, पिछले कुछ सालों से हरिजन और आदिवासियों के पिछड़ेपन को सुधारने के लिए तालीम के मैदान में कुछ तरक्की हुई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहां की नोकरशाही को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता बल्कि इस साल से यकलख्त ही तालीमी इमदाद को वापस लेने का एक किस्म का षडयंत्र बनाया और यह षडयंत्र महज तालिम के मैदान तक ही महदूद नहीं है सर्विसेज में भी पुरानी रियायतें वापस ले ली गई हैं। लेकिन मैं सर्विसेसेज का जिक्र इस वक्त नहीं करना चाहता हूं और तालीम का भी कितना ही लम्बा मामला है, उसका भी मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता। इस समय में सिर्फ वजीफों का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले साल तक गवर्नमेंट आफ इंडिया के आर्डरस के

[श्री सूरज भान]

मुताबिक यह पोजीशन थी कि सैन्ट्रल और स्टेट्स को पैसा दिया जाता था वजीफों के लिए और स्टेट्स उसको डिस्बर्स करती थी। लेकिन इस दफा सैंटर ने हिदायत जारी की 69-70 तक के लेवेल के जो अखराजात हैं वह तो स्टेट्स को बेयर करने पड़ेंगे और उसके अलावा कुछ खर्च होगा तो वह सैंटर उनको देगा। उसके बाद फिर कहा कि जिस हरिजन या आदिवासी विद्यार्थी के 45 प्रतिशत से कम नम्बर आएं उन को वजीफा न दें और जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो उसको भी वजीफा न दें इसके अलावा उसके परिवार की आमदनी की भी कुछ पाबन्दी लगा दी गई है। इस सिलसिले में इसी पार्लियामेंट के 106 मेंम्बरान ने प्रधान मंत्री के को एक मेमोरेंडम दिया और मैं समझता हूँ कि प्रधान मन्त्री के इशारे पर ही हमारे आदरणीय ला मन्त्री श्री गोबिन्द मेनन ने 31 जुलाई को राज्यसभा में श्री मान सिंह वर्मा के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सिलसिले में जवाब देते हुए कहा कि मैं इस तमाम आर्डर को स्टे करूंगा। मैं उनके असली अल्फाज को पढ़ कर सुनाता हूँ:

In the light of the view that this should be stayed till the report of the Advisory Committee is received, I am prepared to do it.

उनके अल्फाज से कहीं यह जाहिर नहीं होता कि वह आधी स्कीम को स्टे करना चाहते थे। इससे साफ जाहिर होता है कि वह पूरा स्टे करना चाहते थे। लेकिन इसका और स्पष्टीकरण इस बात से होता है कि राज्य सभा के चेयरमैन ने इसी सिलसिले में कहा था, मैं चेयर मैन के अल्फाज रिपोर्ट कर रहा हूँ:

He is staying the order and the *status quo* will remain.

ही "He" से मतलब उनका मिनिस्टर साहब से था। स्टेटसको लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था कि जो हिदायतें अब है वही चालू रहेंगी आइंदा भी। इस सिलसिले में मैं राज्य सभा की कार्यवाही से एक चीज और दोहरा देना चाहता हूं, सिर्फ श्रीमती सरला भदौरिया के रिमार्क्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनके अल्फाज में बता रहा हूँ:

"बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा है कि हम सारा आदेश वापस लेंगे। मुझे यह कहना है कि मंत्री महोदय राज्य सरकारों का बहाना ले कर और राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार का बहाना ले कर कहीं फिर गुमराह न हो जायं। मुझे आशंका है अभी यहां फ्लोर पर कहने के बाद कहीं मीटिंग में बैठने के बाद वे बदल न जायं।"

और इसके बाद मेनन साहब ने बड़े मीनिंगफुल अल्फाज में इसका जवाब दिया था:

The hon. Member wanted me to say once more that I won't change my promise after going out of this House. Suppose I repeat my promise once again, then also I can change it. I made it clear on the floor of the House on representation made by Mr. S. S. Bhandari that this order should be stayed until after the matter is fully discussed and reported upon.

यह उनके अल्फाज हैं और जिस चीज का मुझे खदशा था बदकिस्मती से वही दोबारा हुई यहां की नोकरशाही ने फिर एक करिश्मा दिखाया। 31 जुलाई को ही शाम को टेलीग्राम ईश्यू किया गया स्टेट्स को और उस टेलीग्राम के द्वारा उस स्कीम के आधे हिस्से को रोक लिया गया यानी 45 प्रतिशत मार्क्स वाली बात रोक ली और 30 साल की उम्र वाली बात रोक ली। आमदनी वाली बात भी रोक ली गई। लेकिन जो स्टेट्स के लिए कमिटेड एक्सपेंडीचर वाली बात थी उसको वहीं का वहीं रहने दिया गया।

मैं उस आर्डर को पढ़ कर सुनाता हूं:

Enforcement of new regulations governing post-metric scholarships scheme is stayed until further orders. The old regulations will therefore continue to be in operation. Scholarships during 1969-70 may be awarded on the same basis as hitherto.

Our scheme will however apply only to scheduled castes and scheduled tribes.

उनका आखीरी सेंटेंस जो है जिस पर मुझे आपत्ति है और जिसके लिए आज यह सवाल उठाया गया है, वह आखीरी सेंटेंस टेलीग्राम का इस प्रकार है :

Decision regarding committed expenditure remains unchanged.

और वह डेसीशन है कि सेंटर स्टेट्स को पैसा नहीं देगा। इसी पर सारा झगड़ा हुआ है। अब सभापति महोदय, मौजूदा सूरते हाल यह होगी कि सेंटर कहेगा कि स्टेट्स अपने बजट से पैसा खर्च करें और स्टेट्स कहेंगी कि हमारे पास पसा नहीं है। लाजिमी तौर पर इसका नतीजा यह होगा कि हरिजन और आदिवासी विद्यार्थीयों को वजीफा नहीं मिलेगा और उस का नतीजा यह होगा कि आज हमारे लिए सर्विसेज में रिजर्वेशन होने के बावजूद जब यह कह दिया जाता है रिजर्व्ड पोस्ट्स के लिये भी सूटेबल कैंडीडेट्स आर नाट अवेलेबल तो जब यह स्कालरशिप बन्द हो जायगी तब अनसूटेबलिटी कितनी और बढ़ेगी इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं।

अब मैं मंत्री महोदय से एक सवाल यह करना चाहता हूं कि क्या आप इस स्कीम के दूसरे हिस्से को भी, कमिटेड एक्सपेंडीचर वाली बात को भी आप ने समाप्त कर दिया ? यह महात्मा गांधी शताब्दी का साल है। मेहरबानी कर के इसके उपलक्ष में हरिजन और आदिवासी विद्यार्थीयों को तबाही से बचाया जाय। आज वह डिक्लेयर करें इस हाउस में कि मैं इस स्कीम के दूसरे हिस्से को भी स्टे कर रहा हूं। इसके अलावा मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि अभी 20-26 दिन की बात है एक एक्स मेम्बर पार्लियामेंट ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के आला अफसर से बात की और उनसे बताया कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से स्कालरशिप्स की नई स्कीम चलाई जा रही है उससे हमारे बेहतर मेम्बर्स पार्लियामेंट बड़े नाराज हैं तो आप जनाब बड़े रोब से फरमाते हैं कि वह लोग तो हल्ला मचाया ही करते हैं। हमने आर्डर ईश्यू कर दिया, उसमें कोई तब्दली नहीं होगी। यह उनका दिमाग है। लेकिन उन को आधी मुंह की खानी पड़ी, पूरी नहीं खाई। पूरी के लिए मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, उन से दरख्वास्त कर रहा हूं और उसकी वजह यह है कि नौकरशाही के के कारण ही यह हुआ है राज्य सभा में एक सवाल के जरिये मंत्री महोदय से पूछा गया कि यह आर्डर इश्यू होने की जिम्मेदारी किस पर है तो मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट्री सिद्धांत को कायम रखते हुए कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह उन की अपनी बनाई हुई चीज नहीं है, यह उनके दफ्तर के लोगों की बनाई हुई है। उनका यह दिमाग है सिर्फ यही नहीं यहां के कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट ऐंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, पिछले साल श्रीनगर में एक कांफरेंस में उन्होंने यह रेकमेंडेशन दी थी कि शिड्यूल्ड कास्ट ऐंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों को दसवीं क्लास के ऊपर पढ़ने नहीं देना चाहिए। जब इस किस्म के आदमी हरिजन और आदिवासियों के राइट्स के कस्टोडियन बनाकर बैठाये गए हैं तो कैसे हम उनकी तरक्की की उम्मीद उन से कर सकते हैं ? क्या आप मेहरबानी करके ऐसे अफसरान जो हरिजन विरोधी हैं जिनके दलों दिमाग में हरिजनो के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, उनको हटाकर कुछ ऐसे आदमियों को लगायेंगे जिनके दलों में कुछ न कुछ तो उनके लिए दर्द है, ऐसे अफसरों को लगाइए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी तो उनसे रखते हों। तो इन हजारों सालों के रिफ्योजीज का भी कुछ उद्धार हो सके।...(व्यवधान)...

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Sir, all sections of the House would like that the time for this discussion should be extended.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : एक घन्टे में क्या डिस्कशन होगा ? यह गवर्नमेंट नेग्लेक्ट करती है हम को।

MR. CHAIRMAN : That is fixed by the Business Advissory Committee. Speaker is there. He has said this morning that it is impossible to extend the time.

SHRI SHEO NARAIN : The House is supreme, Sir.

MR. CHAIRMAN : The Business Advisory Committee is appointed by the House. Other may be selected, but the Committee is appointed by the House. It has allotted the time.

SHRI S. KANDAPPAN : Normally this has been the convention under Rule 193 discussion In respect of discussion of this type, which is of great importance, about which all sections of the House are very much concerned, we can extend the time of discussion. Actually, we are not eating into the time fixed for some other subject or some other discussion. We are going to adjourn at 6 and instead of that, we may extend the discussion by one hour and adjourn by 7. I think you will also agree.

MR. CHAIRMAN : I cannot go beyond the ruling of the Speaker this morning. It is decided already. We should stick to that.

SHRI S. KANDAPPAN : You have discreation to extend the time.

MR. CHARMAN : Let us not waste time on this.

श्री सूरज भान : इस इश्यु पर गवर्नमेंट श्राफ इंडिया ने एजूकेशन कमीशन बिठाया था, दो साल तक वह चला श्रौर उसने बहुत लम्बी चोड़ी रिपोर्ट दी । उस रिपोर्ट से मैं सिर्फ एक फिकरा पढ़ कर सुनाता हूँ ।

उन्होंने कहा है :

'We recommended that the existing programmes for education of the scheduled castes and scheduled tribes should continue and be expanded."

पेरुमाल कमेटी ने भी श्रपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें दो रिकमेंडेशन्स खास थी—एक तो यह कि वजीफे के एमाउन्ट को बढ़ाना चाहिए श्रौर दूसरे पांच सौ रुपए की इनकम लिमिट को एक हजार रुपया कर दिया जाये । इसी प्रकार से फोर्थ फाइव ईयर प्लान पर जो वर्किंग ग्रुप बैकवर्ड क्लासेज के वेलफेयर के लिए बना था उसने भी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन्स दी थीं । पहले में उन्होंने श्रफसोस किया था कि 1958-59 की लेविल पर स्कालरशिप्स के एक्सपेंडीचर को पिछले कई सालों से स्टेटिक है । उन्होंने सजेस्ट किया था कि उसको एन्हान्स किया जाना चाहिए । दूसरे यह कि शेड्यूल्ड कास्ट श्रौर शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में जितने पोस्ट मैट्रिक के लिए एलिजिबिल स्टूडेन्टस हों सभी को स्कालरशिप दी जानी चाहिए । तीसरे, एजूकेशन चाहे वह किसी भी लेविल की हो—बी० ए०, एम० ए० कुछ भी हो—शेडयूल्ड कास्ट श्रौर शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए फ्री होनी चाहिए । इसी तरह से उनकी बहुत सारी रिकोमेंडेशन्स थीं । फिर यह बात समझ में नहीं श्राती कि वह कौन सा श्राधार था जिसकी बिना पर श्रापने उसको करटेल करने की कोशिश की ।

एक बात श्रौर कहना चाहता हूँ । मन्त्री महोदय ने राज्य सभा में श्रपने बयान में कहा था कि यह स्कीम इसलिए बनी कि प्रेशर डाला गया था कि स्कालरशिप का एमाउन्ट बढ़ाया जाये लेकिन चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला । मंत्रालय ने कुछ लोगों की स्कालरशिप बन्द कर दी श्रौर दूसरों की बढ़ा दी । कौन श्रादमी इस बात को मानेगा कि राम की जेब से श्याम को दे दिया जाये । मन्त्री महोदय ने राज्य सभा में श्रांकड़े भी पेश किये थे कि लास्ट ईयर इसके लिए 6 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च हुए जब उनसे पूछा गया कि श्रगर वजीफे बन्द न किये जायं तो कितने टोटल एमाउन्ट की जरूरत होगी तब उन्होंने कहा सात करोड़ रुपये की । इस तरह से सिर्फ 45 लाख रुपए की ही जरूरत है । मेरी समझ में नहीं श्राता, समाजवाद का नारा लगाने वाली यह सरकार जब इतनी फ़ुजूलखर्ची कर देती है, क्या हरिजन श्रौर श्रादिवासियों के

45 लाख रुपए भी नहीं निकाल सकती है ?

सभापति महोदय, 22 जुलाई को इसी हाउस में इसी सबजेक्ट पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री मुत्यालराव ने कहा था :

> "The changes have been introduced with a view to promote a purposeful approach to education and discourage the tendency to treat these scholarships as means of livelihood.'

मैं उनके अलफ़ाज को कन्डेम करना चाहता हूँ। उन्होंने हरिजन आदिवासियों के वज़ीफे को गुजारे की शक्ल में बनाया है मैं उनके इन शब्दों को आंकड़े देकर कन्डेम करता हूँ और उनसे कहना चाहता चाहता हूँ कि या तो वे इस इल्जाम ो साबित करें वरना इस हाउस में आकर माफी मांगें और अपना इस्तोफा दें। उन्होंने सारे देश के हरिजनों की बेइज्जती की है। उनको भूलना नहीं चाहिए कि करोड़ों आदिवासियों और हरिजनों की बेसिस पर ही वे आज डिप्टी मिनिस्टर बने हुए हैं जिनके ऊपर उन्होंने इस तरह का घटिया इलजाम लगाया है। मैंने ये चार-पांच स्पेसिफिक इश्यू मन्त्री जी के सामने रखे हैं जिनके मैं स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूँ।

SHRI S. M. SOLANKI (Gandhinagar) : Speaking on the discussion of the scholarship scheme, I would say that we have to cry for the scheduled castes. It is a shameful state of affairs that we should have to pray for certain rights given to us under the Constitution.

Something has come out of the fertile brain of the Minister of Law and Social Welfare. In this Gandhi Centenary Year he is going to abridge and reduce the facilities given to us under the Constitution. The Government are going to extend the period of reservation by ten years. But they are also going to cut off the facilities. What is the meaning of this contradictory line of approach ?

I do not understand. The Prime Minister, the Cabinet and the Government had nationalised within 24 hours fourteen banks in India The Prime Minister also promised to give certain facilities from the deposits of the banks. I think the hon. Minister has not consulted the Prime Minister. Otherwise, this would not have been done. The entire blame is coming upon our Social Welfare Minister. You may have heard of the fire coming from the ocean and fire coming from rubbing of the bamboos. From a hole in the house the Minister is observing the whole world but nobody can see him. The meaning is this. He has calculated in such manner. I am seeing the world but the world cannot see me. He should understand that the whole world is at him. Some day will come when the whole world will create difficulty for him. Here in this House we are 108 Members. In the Gandhi Centenary year they should understand that they should not do like this. In Gujarat the limit on income for purposes of freeship and scholarship is Rs. 3,600. If a person gets more than Rs. 4,000 per year he will not be able to get any facilities of freeship or scholarship. In Gujarat State the Caste Hindus, whose income is below Rs. 1,200 per year are getting freeships and S.C. and S.T. are not getting freeship where the income is above Rs. 3600. Are S.C and S.T. considered richer than the caste Hindus ? For admission to medical colleges, they fixed a percentage for scheduled castes and tribes when scheduled tribes candidate are not available, they must give a chance to scheduled castes in the quota of reservation. But they are not doing anything about this. Twenty years ago it was decided that the college scholarship was Rs. 25. When price of commodities has increased so much, they must think of giving additional facilities, if they want to bring up the down-trodden people. If the Government, the Cabinet and the Social Welfare Minister want to help them, they must extend certain facilities to the scheduled castes and tribes people.

Thousands of acres of wasteland are available in the country. This being the Gandhi Centenary year Government should announce that any waste land available should be given to the Scheduled Castes. But the sarpanch and the panchayatdars are in a majority and they are converting wasteland into gochar land. Government should without any hesitation give power to mamlatdars and collectors that even without any application from the scheduled Castes and Scheduled Tribes, they should allot wastelands to these persons.

SHRI D. R. PARMAR (Patan) : This is a matter pertaining to the education of the

[Shri D. R. Parmar]

Scheduled Castes and Tribes. As such, it is a very important matter, and we are glad that you, Sir, have permitted the discussion on the floor of this House.

Now, the Government have revised the structure for disbursing the scholarships to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. But I must say that before revising these rules, the department should have consulted some organisations of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, some leaders from these classes. The department should have at least consulted the Committee which is appointed by the Government for the welfare of these classes. But I think the Minister has not done so, and they have revised these rules of their own accord. That is why there is much discontent throughout the country.

The scholarship rules which are prevailing at present were framed in the year 1950 and the scholarships are being disbursed under these rules. But since that period, the standard of life has risen greatly. Even the dearness allowance of Government servants has been revised to about four times but the Government have not looked into the matter of revising the rate of scholarships which are being disbursed to the Scheduled Caste and Schedule Tribe students. That is why these scholarship amounts are too low now, and therefore, the students cannot cope up with this amount.

I must point out that in the revised rules, the Government have given some block grants. For the engineering students, medical students and for the architecture students, this block grant is fixed as Rs. 480 per candidate, but then, the students have to pay a fee of more than Rs. 500 and they have to spend from their own pocket and purchase books and stationery, which it is not possible for them to do. Under the circumstances, the students sometimes abandon their study. So, I request the Minister to increase this block grant amount.

In many States, education is not free. In some States, it is free. In Maharashtra, it is free at all stages. In Gujarat it is not free. So, the Government should revise the rules in such a way that education for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students is given free at all stages—that is, in the primary, secondary, higher secondary and also in the post-graduate courses, so that the block grant which is provided under the revised rules could be utilised for purchasing books and stationery articles.

One thing more These scholarships are being disbursed very late, and that is why the real purpose of providing these scholarships is being defeated. In my State of Gujarat, about 10 per cent of the scholarships is being disbursed after the students have appeared or have passed the examinations, and so, I request the Government to lay down certain rules in order to see that the scholarship amounts are disbursed to the students in time.

The Maharashtra Government has suggested one procedure. For awarding the scholarship the Deputy Director is empowered. The Deputy Director sanctions the scholarship.

Moreover, the Director of Social Welfare should be empowered to open a personal account in the Treasury. Even the educational institutions should be allowed to open the account in the Treasury. The procedure that is prevailing in Maharashtra should be allowed throughout the country in all the States so that students can get the scholarship in time

In my State, Gujarat, as many as 10 per cent of the scholarships are being paid after the students have appeared at or have passed the examination. This is the finding of the evaluation report of the State Government itself. In order that the students get timely disbursement, the Central Government should not mind paying at least 2 per cent of the cost of the scholarships to the State Governments to meet the administrative expenditure for the implementation of these schemes. When the Government is spending so much money over scholarships, the Government should also spend 2 per cent of this amount for administration purposes so that students can get the scholarships very timely.

Then, coaching facility should also be provided for students reading in post-matric institutions at important places, preferably at the university headquarters. It is very essential to avoid wastage in education at the stage of higher education.

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : सभापति जी, स्कालरशिप के बारे में जिस आदेश आदेश की चर्चा यहां चल रही है उस आदेश की मुख्य बातें क्या हैं यह मैं सदन को बताना चाहता हूँ।

उस आदेश की प्रमुख बात यह है कि आदिम जाति का जो विद्यार्थी 30 वर्ष की आयु पूरी करेगा और पाठ्यक्रम में दाखिल होगा उसको छात्रवृत्ति के लिये पात्र नहीं माना जायगा। 30 साल से अगर किसी की उम्र ज्यादा हो तो उसको स्कालरशिप नहीं मिलेगी।

दूसरी जो आदेश में शर्त लगाई है वह इन्कम की है। जिनकी आय 360 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है उन्हें पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन जिसकी आय 360 से अधिक है पर 500 रु० प्रति मास नहीं हैं उन्हें शिक्षा आदि के बारे में अनुदान दिया जायगा तथा आधा भरन पोषण दिया जायगा।

तीसरी कंडीशन पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में लगायी है, और वह है मैरिट की। 45 प्रतिशत अगर मार्क्स नही मिलत है तो उनको स्कालरशिप नहीं मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि यह कोई भी कंडीशन शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिये आज तक नहीं थी। कोई भो विद्यार्थी किसी भी उम्र का हो, उनकी इन्कम कितनी भी हो, उनकी मेरिट कुछ भी हो, उनको स्कालरशिप मिलती थी। गवर्नमेंट ने चालाकी की, रिजर्वेशन के बारे मे कहा कि वह हमने 10 साल के लिये बढ़ा दिया है। समझ में नहीं आता कि रिजर्वेशन बढ़ाने के पीछे क्या मतलब था। अगर यह सही है कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, अशिक्षित हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उद्धार होना चाहिये तो यह काला आदेश सरकार ने क्यों जारी किया, मेरी समझ में नहीं आता।

यहाँ एक कनसल्टेटिव कमेटी है, शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक सलाहकार समिति है, और एक पालियामेंट ने बड़ी कमेटी अपोइंट की जिसको डेवलपमेंट कमेटी हम कहते हैं। पालियामेंटरी कमेटी है, संसदीय कमेटी है। क्या यह पोलसी का नहीं सवाल नहीं है? यह कोई मामूली बात है? सरकार को इस मामले को संसदीय समिति के सामने लाना चाहिये था। सरकार क्या इसको मामूली बात समझती है। इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी इस पर सोच विचार नहीं किया गया। अब तक कोई प्रतिबन्ध नहीं था, इस वर्ष उस आदेश को ला कर के सरकार ने मिल रही स्कालरशिप्स को वापिस लिया है। इसके लिये कारण यह दिया गया है कि छात्रवृत्तियों में बहुत बढ़ोत्तरी हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि छात्रवृत्ति में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह कहां हुई है। अगर पैसे की बात है तो हम बहुत दिनों से नारा लगा रहे हैं कि बेंक नैशनलाइजेशन से जो पैसा मिलेगा उससे रिक्शा वालों को पैसा मिलेगा, तांगेवालों को पैसा मिलेगा। लेकिन आदिवासियों को जो पैसा मिल रहा था उसको वापिस लेने की बात कही जा रही है। यह कहा जाता है कि :

"नहिं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते"

शिक्षा जैसी कोई पवित्र बात दुनिया में नहीं है। बिना शिक्षा के हमारा कोई भी सवाल हल नहीं हो सकता है। मै सरकार से विनती करूंगा कि जब राज्य सभा में सवाल उठाया गया तब आप ने कहा था कि एक संसदीय समिति इस पर विचार कर रही है। इस आदेश पर हमने स्टे आर्डर दे दिया है। लेकिन स्टे आर्डर की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि कोई कानून ही नहीं था, कोई प्रतिबन्ध ही नहीं था जिसको खत्म करने की बात कही जाये। संसदीय समिति बैठेगी वह विचार करेगी, लेकिन मन्त्री महोदय को देश के आदिवासी शिक्षार्थियों के लिये जो काला आदेश सरकारी अधिकारियों ने निकाला है उसके लिये कहना चाहिये कि उसको रद्द किया जा रहा है। आखिर मैं शिड्यूल्ड कास्ट छात्रों के लिये एक शैक्षणिक सुविधा मांगता हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि जो नवबौद्ध लोग शेड्यूल्ड कास्टस

[श्री देवराव पाटिल]

में से आये हैं, उन्होंने अपना धर्म-परिवर्तन किया। महाराष्ट्र में उनको शैक्षणिक सुविधायें हैं। उनको यह सुविधा हर राज्य में भी मिलनी चाहिये। इस साल गांधी शताब्दि को ध्यान में रख कर मन्त्री महोदय उचित आदेश देने की कृपा करें।

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): Mr. Chairman, Sir, I saw with great surprise the resolution of the Government in which they have put certain limitations as to the manner in which these scholarships should be given. One is that there should be 'means test' in the case of Scheduled Tribes which was not in existence before and another is that there should be age limit of 30 years. Now, by doing this, they perhaps think that society can be divided into so many parts. Some will be educated, others not; some will be rich, others not. But we have to consider the society as a whole, whether somebody is advanced or backward. The society has to be taken together. You cannot consider one part of educated society and take it out and leave the uneducated ones much behind. That is not the way in which it works.

Dr. Rajandra Prasad has said, and perhaps rightly so, that a society always grows under the inspiration of its own men. If we take out those people who are educated in a community or those who have advanced, they might be through the help of the Government in the last twenty years, what is left behind? So, we must not have this attitude of looking at things After all. these communities are to be given apportunities so that the difference between more advanced community and less advanced community can be cut down. The very purpose for which these scholarships are given for education of the communities is to encourage a sense of education in those communities where they are very much pessimists about education and, secondly, to educate them and bring about education to a certain extent that they can merge in the national life of the country.

We do not take education as one of those things that these people, the Adivasis and Harijans, are given scholarships as a charity. No. This is one of the greatest links of nation building. We just cannot afford to ignore these people because so long as they remain backward, this country will remain backward and this country will become further backward. Our country has not been able to produce Indians and only education can produce Indians in our country where there are Rajputs, Kashatriyas, Brahmins, Kayasthas, Bengalis, Biharis, Madrasis etc. This is the greatest thing that we have to keep in mind. Educarion alone is the greatest weapon which is required to bring about unity of the country.

Therefore, to put a restriction of this type on the education of the uneducated is causing the greatest hardship This must be withdrawn and withdrawn straightway. There should be no restriction on education. If you want to give it, give it free, without any reservation. You have been giving not because you want to show that we are draining away so much of Government's treasury for them, but you really have some intention of lifting the people up by educating them. So, Government should start thinking seriously about it. There should be no limitation whatsoever. If I were the Education Minister, I would say: 'Divide the communities into so many parts: this is the population, this is the economic strength, this is the educational intensity of each community and this is what is required irrespective of caste or creed or religion'. In an area predominatly occupied by Harijans, you cannot get children other than Harijans. They will be more in number. This scholarship must not be taken so lightly. We are thinking in terms of nationalising banks and so many other things. At least we must nationalise Indians...(*Interruptions*) We must nationalise Indians. Unless we produce Indians, with any amount of nationalisation that you may bring about, you will never get to an end. I do not have to speak too much on this because our Law Minister understands more than what can be said. Whatever the members have said, I think, is enough, and I hope he will withdraw this restriction straightway, tomorrow.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): This is the Centenary Year of the Father of our nation Gandhiji had many wishes and we all know, and I am sure that the Congress benches would not dispute this fact, that none of them has materialised. Probably in

this Centenary Year they may fulfil one of his pious wishes, i.e., the dissolution of the Congress Organisation itself. But before they embark on that venture, I may appeal to them in the name of the Father of our nation : 'Please see to it that the life-long goal that he had cherished to see that the poverty-stricken and downtrodden masses of this country are brought on a par with the other citizens of this great nation, is fulfilled to some extent ; at leasr make it appear that this is being fulfilled." Unfortunately. today the position is that the condition of the simmering masses is worse than what it was some years back, and Government knows that. I was sorry to hear the remark made by the Deputy Minister, Shri Muthyal Rao, which was objected to by the hon. Member who raised this discussion ; it is really amazing that a Minister in charge of this portfolio should have the cheeks to say such words ; it adds to the wound that is already aganising to those people who are really the backbone of this country.

I would like to say only a few words because the time is very much limited. The hon. Minister, Shri P. Govinda Menon, while replying in the Rajya Sabha, said that he might need about Rs. 7 crores for this particular disbursement of scholarship. Considering the stupendous problem that we are facing in this country, even ten times of that amount may not be able to meet a fringe of the problem. That is the immensity. I do not know why we have got a Social Welfare Department at all at the Government of India level. Further he stated that the money that being spent by the State Governments has to be treated as committed expenditure which will be covered under the Plan.

And what is the Centre doing ? Why should they have a Social Welfare Department at all ? Is it a publicity measure or is it a vote-catching device ? Is it not pure and simple hypocrisy ? I would like to have a categorical answer from the Government. In spite of the Constitutional mandate what has the Centre done in the past 22 years to uplift the masses of this country ? You have done nothing about it. There are so many tribes, so many Harijans, backward communities, many divisions and sub-divisions in them and even there a difference is being made between Buddhists and Christians. After all ours is a secular Constitution. Are we giving concessions to the Backward Communities just beeause they are Hindus ? The concessions are being given because they are down-trodden and backward and not that they belong to the Hindu community. It is very unfair. It is unconstitutional. This kind of a situation cannot be tolerated. Still the Government is doing nothing about it. I know for a fact that in our place many people converted themselves into various other religions. Simply because of the conversion they did not become rich. They are still poor as they were when they were in the Hindu fold. So I do not understand this kind of hypocrisy being applied by the Government.

I accuse the Government of India, I charge the Government of India on the basis of facts and the performance they were able to show in the past 22 years that they have done nothing. They have not even moved their little finger. What they are doing is just doling out some pamphlets and giving advice to the State Governments. Who are you to give advice to the State Governments ? They know their job better. What we want is that instead of wasting your money on the administration, you better give the money, and divide it among the States. I think they can do a better job of it. For example, in my State, we have now divided this Department into two wings—one in charge of the Scheduled Castes looking after the Scheduled community in particular and the other is with reference to the Backward community. Now we are able to concentrate much more on the Scheduled community. Here, in Delhi, in the Welfare Section it is all a conglomeration. Further so many groups are added to them. The little money that is being dispersed gets diluted. So the really backward people do not get what they should otherwise get from the Government. So the Government should analyse this problem and bifurcate certain sections and make allotment to each section and see to it that they seriously attempt tackle problem. After all the recommendation made by this Committee is that the scholarship for undergoing technical training course should be enhanced by 100% and with regard to academic course it should be 50%. What is the difficulty for the Government to accept this outright ? I do not find any difficulty. How many Scheduled Castes and how many tribal people have been undergoing technical training course ? Let us take a survey of the whole

[Shri S. Kandappan]

country. How many Scheduled Castes and Tribes are there in the Gazetted cadre in the Central Services and the State Services? They cannot imagine even to reach the secondary level with their meagre income unless and otherwise they have got some other source of income. No Scheduled caste man or tribal can imagine to come upto the college level. If that all the man secures sufficient marks, he can get into a professional course or a technical course. What is the difficulty in giving 100%? I think this can be accepted outright.

With regard to these things what is the financial burden that is likely to arise? Here I really feel sorry for the reply the hon. Minister gave in the Rajya Sabha on 31st July while replying to a calling attention attention motion. He said that he is expecting the financial sanction but the demand that he made namely Rs 7 crores is so paltry and meagre that even 10 times of that amount would not touch the frings of this stupendous problem. So he should see to it that real work is done. Otherwise, I would rather make a suggestion and request the Government of India, 'You please consult the States and if you cannot do any job and if you only want to carry this Department with you as a sort of vote-catching device, you please see that you abolish this Department once for all from the Centre so that at least the money that you are wasting on the administrative expenses can be saved and given to the States.'

With regard to the demands made by certain States—particularly in regard to my State—none of them were conceded. Instead of taking all States on a par or on population basis, the committed expenditure and allocation by the Centre should be on the basis of the percentage of the population of the backward classes in that particular State. There are certain States which have got as much as 30 or 35 or 40 per cent of the backward people and with their limited resources and finances it may not be possible for those States to attend to them, to the extent that they would like to attend to the interests of these backward communities.

It is unfair for the Government of India to say that. Every week we are hearing the announcement and hearing bulletins over the All-India Radio where they are making the tall claims that they are doing so much for the backward community, for the scheduled castes and the scheduled tribes. They should be ashamed of pretending all these things, at least in the year of the Gandhi Centenary.

With these words, Sir, I strongly feel. and I compliment the Mover of the Resolution for giving this occasion to ventilate some of our grievances. I hope the Government would take cognisance of the feelings expressed by the various sections of the House and do something concrete about it. Even the committee that was appointed, came into being, after insistence on the part of all sections of the House. I remember that very well and we all know how the Committee came into being. We thought that that might be a sop, that it is not going to be a substantial committee. That is what it amounts to now; because, the recommendations of the Committee, I am afraid, are not being heeded to by the Government. If the hon. Minister can recollect, I would recapitulate to him about the commitment made at that time that it would be statutory body and its recommendations would be binding on the part of the Government. But now we find that their recommendations are being treated casually.

I would like to appeal to the Government to treat the recommendations of the Committee much more seriously. Even the very genuine. modest recommendations that they have placed before the Government, have not been implemented. With these words I conclude.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Mr. Chairman, Sir, I am thankful for the hon. Mover of the Resolution for raising the discussion under Rule 193.

Sir, the first consideration that ought to prevail with us is whether this revised regulation is a progressive step or a regressive step.

We are, time and again, day in and day out, professing that we stand for the progress of the backward classes, for the downtrodden and the under-privileged people. In jextaposition to what we say and profess, I would like to raise these questions now. Is this revised regulation issued by the Government on 29th May, 1969 a progressive step

or a regressive step in view of what we preach and what we say ?

As you are aware, Sir, these Scholarships to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not something that is new. It has started in the year 1934 according to the recommendations of the Committee appointed under the Chairmanship of Mr. Srarte, I.C.S. That committee was appointed first by the Bombay Government and this scheme was started in 1934. It was again revised in 1944. It was accepted for giving scholarship and other facilities for the backward classes and the scheduled caste people in 1947 after Independence. As a result of Independence and the framing of the Constitution of India the same principle underlying the policy of granting scholarships was incorporated in the Constitution also.

But, all of a sudden, what happened ? In 1962 somebody had taken to his head that a new innovation, a new change, was introduced, namely, what is called, the 'means test'. I don't understand how it came into being, who brought it into being, or how it has originated. Is this innovation really towards progress or towards regress ?

Mr. Chairman, Sir, I need not repeat that we have accepted socialistic pattern of society and that we are marching towards socialism or we would like to establish a socialist pattern of society. Can we have a socialist pattern of society by keeping down the down trodden and under-privileged down below or pushing them further down ? Considering this means test and the new revised regulation, I think our socialists is like taking one step forward and two steps backward. Such being the case, how could there be progress ?

The late Prime Minister, Pandit Nehru, had said that education is an investment in man. If you want to invest in man, education is the means for doing it. It is the means by which we can change man for possessing a cultured and cultivated mind. If we want to do that, we should not raise the bogey of lack of funds. If we want to transform man—and man is the basis of society—if we want to bring man up to the level of a cultured and cultivated being we must find out the money invest more in him so that society could progress.

Today I do not want to be bitter on the Revised circular, because the stay order has been granted. So I would not go into the past history. But considering the progress made by these castes, I hope Government will come forward with a revised decision giving up the means test.

On the question of New Buddhists or Buddhists, those who are converted from scheduled castes to Buddhism, last time, the hon. Minister very kindly and generously said that under art. 25 of the Constitution, since we are out to bring about social reform and social welfare in Indian society, they would come under the description of Hindu society and that they would get facilities.

SHRI S. XAVIERR (Tirunelveli) : There should be no religious consideration in this. Whether one is a Buddhist, Hindu or Christian should not enter into this. Religion is a purely spiritual thing.

SHRI R. D. BHANDARE : I quite appreciate his viewpoint. I am confining myself to the constitutional provision. I do not dispute his point, but I am simply reminding the hon. Minister of what he said on 28 April. Today we are in the month of August. Is it not a sufficient time to bring out some solution for this problem. There could have been issued some circular or notification changing the policy so that Buddhists could also get these facilities. The position of these converts in to the villages remains as it was before their convertion. I am not asking something for more advanced people. I am asking something for those whose position and place is just like that of the scheduled castes.

With these words, I again thank the hon. Member who raised this discussion.

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती) : सभापति महोदय, हमारे कांस्टीटयूशन के आर्टिकल 46 में लिखा है :

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

6 जुलाई, 1969 से 19 जुलाई, 1969 तक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी,

[श्री तुलशी दास जाधव]

शिमला, में "दि ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया' के विषय पर एक सेमिनार हुआ था, जिसमें बड़े-बड़े सरकारी अफसरों और विद्वानों आदि ने भाग लिया था। उस सेमिनार द्वारा जारी किये गये स्टेटमेंट में कहा गया है :

"The Seminar emphasized that the 'weekest links' among the Scheduled Tribes have to be identified for purposes of swift and all-round development."

उस स्टेटमेंट में आगे कहा गया है :

"Special attention should also be given to the production of popular books for children and adults, and text books, designed to promote knowledge and appreciation of different cultures inhabiting this ancient land. In devising schemes of national service for students care should be taken to ensure that tribal students work in non-tribal areas and non-tribals in tribal areas wherever practicable. There can be no effective emotional integration of the people without developing satisfactory interpersonal relationships between persons of different backgrounds. Voluntary organisations have a vital role to play in promoting this kind of integration."

मेरे कहने का तात्पर्य ह है कि ये सब बातें लिखी तो जाती है लेकिन उनके अनुरूप व्यवहार नहीं किया जाता है। यह केवल सात करोड़ रुपये का सवाल है, जो कि सैंट्रल गवर्नमैंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता था। प्रश्न पैसे का नहीं है। जब देश में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की इतनी बड़ी पापुलेशन है, तो उसके स्टुडेंट्स को शिक्षा देने के मामले में सैंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी ओर से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके अपने बहुत से खर्च हैं। मैं खुद बैकवर्ड क्लासिज के लिए कोई हाई स्कूल, कालेज और होस्टल चलाता हूँ। महाराष्ट्र में एक सर्कुलर द्वारा कास्मोपालिटन होस्टलज को बन्द कर दिया गया है और कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासिज के स्टुडंट्स को 30 या 35 रुपये के बजाये केवल 25 रुपये मिलेंगे। जिन गरीब स्टुडेंट्स के पास कपड़े नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, वे बेचारे किस तरह अपना खर्च चला पायेंगे ? इस प्रकार वालन्टेरी आर्गेनाइजेशन्ज और सोशल वर्कर्ज के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है।

बैकवर्ड क्लासिज के और हरिजन स्टुडेंट्स को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने से उस पैसे का कितना अच्छा उपयोग होता है, मैं आपको इसका नमूना बताता हूँ। मुझ से पहले श्री भण्डारे ने भाषण दिया है। कल वह डिपुटी स्पीकर बनने वाले हैं और ईश्वर की कृपा से वह और भी ऊंचे पदों को सुशोभित करेंगे। अगर उन्हें स्कालरशिप न दिया जाता, तो क्या वह इस स्थिति में पहुंच सकते थे ? बाबा साहब अम्बेदकर को अगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंगलैंड न भेजा जाता और उन्हें स्कालरशिप न मिलता, तो हिन्दुस्तान का इतना बड़ा कांस्टीट्यूशन बनाने में समर्थ वह दिमाग पैदा न होता। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस जमीन पर बहुत दिनों से खेती नहीं की जाती है, जो बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ी रहती है, उस पर खेती करने से यील्ड बहुत तेजी से होती है। बहुत दिनों से शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आगे आने नहीं दिया है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको अस्पृश्य मानते हैं। जानवरों को, कुत्ते और बिल्ली को वह अपने साथ लेते हैं। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट ऐंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स को साथ नहीं लेते हैं। इसलिए मेरी विनती है मिनिस्टर साहब से, वह भी इतने होशियार हैं, यहां सब को टक्कर देते हैं कानून में, उनसे विनती है कि हमारे लोगों में से पैसा काट कर इन लोगों को दे दें। हमारा पैसा कम करके इन लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जरा ज्यादा दें। अभी कार्त्तिक ओरावं जी बोले। वह इतने विद्वान हैं, कभी-कभी गरम हो जाते हैं लेकिन इतने विद्वान और होशियार इंजीनियर बने, उनको भी अगर प्रोत्साहन न मिलता तो क्या इस प्रकार की

बातें सुनने को हमको मिलतीं ? इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को स्कालरशिप देकर आगे लाना चाहिए।

18 hrs.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : श्रीमन्, सेकुलरिज्म का तकाजा यह है कि सब को टाइम दिया जाय। लेकिन हम लोग जो हरिजन उद्धार के लिए रात दिन काम कर रहे हैं उनको आप बोलने नहीं देते हैं केवल उन्हें लोगों को बुला रहे हैं तो इस तरह कैसे काम चलेगा ? यह कैसा सेकुलरिज्म है ?

श्री रामजी राम (अकबरपुर) : चेयरमैन महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश पर जो हमारे साथी श्री सूरज भान जी ने प्रस्ताव उठाया है मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ आप के माध्यम से सरकार से कि यह अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या न गिनेंगे तो भविष्यमें इसका नतीजा बहुत खराब होने जा रहा है। यह इस किस्म का आदेश ईश्यू हो सरकार की तरफ से इसके मानी हैं कि सरकार की नीयत में खामी है और सरकार की नीयत बदनीयत है। आज शिड्यूल्ड कास्ट एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स सरकार से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यह चाहता है कि उसको शिक्षा दी जाय और जब उसको शिक्षा मिलेगी तो वह अपना पेशा, अपना रोजी रोजगार अपनी अकल से कमा सकता है। आज राज्य सरकारें जैसी हैं जो पार्टी के दलदल में फंसी हुई हैं, मैं तो उनको भेड़िया कहता हूँ। उनके मुंह में शिड्यूल्ड कास्ट ऐंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एजूकेशन के मसले को छोड़ देना यह बड़ी भारी भूल होगी जिसके भयंकर परिणाम होंगे। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब ज्यादा इन बातों को सहने का वक्त नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उनकी समस्याओं को लेकर आपने क्या किया और आज उनकी क्या पोजीशन है ? और जो युगों-युगों से पदाक्रान्त मानव हैं जिनका हर तरह का पतन हो चुका है, जिनको पददलित बनाया गया है उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार ने क्या किया है ? यह गांधी शताब्दी का वर्ष है और उसके अन्दर इस तरह के आदेश सरकार की तरफ से जारी किये जायं यह क्या साबित करता है ? मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला है। ला फैकल्टी के लड़कों ने यह भेजा है, यह हैं याद राम निम्बेकर भरत सिंह और विजय प्रकाश वगैरह कई लड़कों ने यह अप्लीकेशन मेरे पास दी हुई है कि पार साल का स्कालरशिप उनको अभी तक नहीं दिया गया। क्या मानी रखता है यह ? और अगर इनके स्कालरशिप के मसले को स्टेट सरकार के हाथ में सौंपेंगे तो उसका लाजिमी नतीजा क्या होगा ? यह होगा कि वहां पर जो एडेड स्कूल्स हैं जो सिर्फ कमाने के माध्यम बने हुए हैं, शिक्षा से उनका कोई ताल्लुक नहीं वह स्कालरशिप को लेकर कहीं-कहीं तो फर्जी दस्तखत करके रुपया खा लेते हैं और लड़कों को स्कालरशिप नहीं मिलता है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ और मैं साबित कर सकता हूं। तो इस किस्म की जो बातें हैं और जो इस किस्म के आदेश जारी किये जाते हैं उनको जारी करने के पहले सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। जहां तक लड़कों के दाखिले का सवाल है मैं उस संबंध में सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि दाखिले का आदर्श तो यह है कि हर छः लड़के में से एक लड़का हरिजन और आदिवासियों का दाखिला किया जाय। लेकिन आज जगह-जगह से यह शिकायत आ रही है कि इन का दाखिला स्कूलों में नहीं होता है। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से जो स्कूल एडेड हैं उनकी सारी सहायता छीन लेनी चाहिए, वह वापस ले लेनी चाहिए,। लेकिन यह सरकार है इन के यह अधिकारी हैं जिनके माध्यम से यह सरकार चल रही है। सही तौर पर यह सरकार इन लोगों का ख्याल नहीं करती। अगर वह ख्याल करती तो

[श्री रामजी राम]

तरह की नाना प्रकार की जो शिकायतें हैं उनको वह दूर करती । लेकिन इस सरकार के मन पर जूं तक नहीं रेंगता । परिक्षा फीस पहले ले ली जाती है, दाखिले के वक्त फीस ले ली जाती है जब कि फीस माफ है । वह बेचारे अन्धेरे से प्रकाश में आने वाले गरीब हरिजन छात्र, उनके पास पैसा नहीं है । मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस बात पर वह गहराई के साथ विचार करें । पाठ्य पुस्तकें जो सहायता के रूप में उनको मिलती हैं छोटे क्लासेज में राज्य सरकारों से वह साल के आखीर में उन को देते हैं । मैं उत्तर प्रदेश का हाल बताता हूं । मैं फैजाबाद से आया हूँ । 65 लाख रुपया एजूकेशन का वहां लेप्स हो गया । यह क्या मानी रखता है ? अगर राज्य सरकारें सही रूप में एजूकेशन पर पैसा खर्च करतीं तो इतने-इतने रुपये लैप्स नहीं होते । लेकिन उनकी नीयत साफ है और मुझे शक है कि सरकार की नीयत कहीं ऐसी तो नहीं है कि सिर्फ इनको लालच दे कर और थोड़ा सा वेतन देकर इनके बुनियादी हक को जो संविधान के तहत उनको मिले हुए हैं सरकार छीन लेना चाहती है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस तरफ खींचना चाहता हूं । एक छात्रावास का मसला मैं रखना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का मसला है । अभी कानपुर में गया हुआ था । एक छात्रावास मैंने देखा, इतनी गन्दी जगह पर वह बना हुआ था और उसके चारों तरफ इतनी गन्दगी थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । एक गन्दे कुएं से गन्दा पानी खींच कर वहां रहने वाले लड़के पीते हैं जो यूनिवर्सिटी के लड़के है । वहां पर न कोई उनके रहने की जगह न उनके लिए किसी प्रकार की सुविधा न सफाई न पीने के पानी का इंतजाम कुछ भी नहीं था । जो यह वाइवा लेते हैं और इंटरव्यू लेते हैं उसकी एक मिसाल मैं रखना चाहता हूँ । एक लड़का है मोती राम—वह उत्तर प्रदेश जुडिशियल आफिसर्स एग्जामिनेशन में 1965 में अपीयर हुआ । उसका फर्स्ट नम्बर आया शिड्यूल्ड कास्ट में और कमीशन ने उसको रेकमेंड भी किया । लेकिन उसका नाम नहीं है लिस्ट में जो लिए गए हैं जब कि वह क्वालीफाइड है और मेडिकल टेस्ट में पास है । यह क्या मानी रखता है ? उसको वाइवा में मिला 150 में 26 और पक्षपात का एक बेहतरीन उदाहरण देखिए कि कुमारी शोभा सक्सेना डाटर आफ मिस्टर सक्सेना डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ को 150 में 119 नम्बर मिले हैं जब कि उनके नम्बर 416 और मोतीराम के नम्बर 478 हैं । यह एक पक्षपात की मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ । इस तरह के जो सरकारी आदेश होते हैं और उसके माध्यम से जो शिड्यूल्ड कास्ट ऐंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे परेशान हैं और प्रभावित हैं उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । 22 साल में यह समस्या हल नहीं हुई है । वह यह न समझें कि हम उन से भीख मांग रहे हैं । यह हमारा मौलिक अधिकार है । अगर हमारे मौलिक अधिकार का ख्याल नहीं किया गया तो यह सरकार चलने की भी नहीं है, मैं यह चेतावनी देना चाहता हूँ ।

श्री जगेश्वर यादव (बांदा) : सभापति महोदय, देश में सामाजिक विषमता दूर होने के बदले बढ़ती जा रही है । हरिजन और आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का प्रश्न इसी का एक नमूना है यह अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है कि हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए हमारे संविधान ने जो निर्देश दिये हैं उनका पालन नहीं हो रहा है । उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी आदि क्षेत्रों में जो संरक्षण प्राप्त हैं उनकी किसी न किसी बहाने अवहेलना की जा रही है । अनेक राजनैतिक क्षेत्रों में हरिजनों और आदिवासियों के प्रति घोर घृणा का वातावरण है । अभी अभी कांग्रेस दल के भीतर भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करने का प्रश्न आया था । श्री जगजीवन राम जी का नाम

प्रस्तावित भी किया गया था। लेकिन सिंडीकेट ने उनका नाम ठुकरा कर हरिजनों के प्रति परम्परागत घृणा का परिचय दिया।...

MR. CHAIRMAN: You talk about the matter which is before the House, not about other things. That matter, you might say, is *sub-judice*.

श्री जगेश्वर यादव: गांधी जन्म शताब्दी के इस पुण्य वर्ष में सरकार को इस प्रकार से कदम उठाने चाहिए ताकि सामाजिक विषमता और खामियों को पाटा जा सके। हम लोगों का इस सदन में कुछ कहना इसी तरीके से है—सच कहती है बुढ़िया, पर तेरी सुनता कौन है। यह सरकार और मंत्री जो पहले से तय करके आते हैं वही तय किए बैठे रहते हैं। संसद सदस्य चाहे जितने ही अच्छे से अच्छे सुझाव दें, वह इस कान से सुनकर उस कान से उड़ाने के लिए तय किये बैठे हैं। कौन नहीं जानता हरिजनों की शिक्षा की दशा इस देश के अन्दर किस हालात पर चल रही है। अगर सरकार की नीयत होती कि हमको हरिजनों की शिक्षा को बढ़ाना है और उनकी उन्नति करना है तो वह कोई मुश्किल बात नहीं थी कि आजतक इन 22 सालों में वह न कर पाते। जिनकी उन्नति करनी थी उनकी उन्नति हुई है। 22 साल पहले के टाटा की पूंजी के आंकड़े देखे जांय, और आज के आंकड़े देखे जांय बिरला की पूंजी के उस टाइम के आंकड़े देखे जाय और आज के देखे जांय तो पता चल जायेगा कि उनकी उन्नति में कितना अन्तर आ गया है। लेकिन 22 साल पहले की हरिजनों की दशा को और आज की दशा को देखा जाये तो वही हालत आज भी है। उस टाइम का एक रुपया आज के 17 रुपयों के बराबर है। पहले एक हरिजन चार आने पाता था, वह आज रुपए बीस आने भी पाता है तो वह दो आने के बराबर ही है। यह दशा हरिजनों की है। सरकार जो उनके हित की बातें उनकी शिक्षा के बारे में या उनके संरक्षण के बारे में कहती है वह सिर्फ वोट लेने के लिए ही कहती है। स्वराज मिलने के समय जिन आदमियों ने विरोध किया और अपना हिस्सा बटा लिया, वही अच्छे रहे। लेकिन जो सरकार के साथ रहे, देश के साथ रहे, और धर्म के साथ रहे उनसे यह सरकार इस तरह की बेईमानी कर रही है। यह सरकार पूंजीपतियों की बातें सुन रही है। जिन चीजों पर मनुष्य का जीवन निर्भर करता है, जिनके बिना मनुष्य रह नहीं सकता है जैसे हवा, पानी, अन्न, धरती, वायुमंडल उसी प्रकार से मनुष्य बुद्धि के बिना भी अपने जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है लेकिन उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। असल में इस सरकार का इरादा ही नहीं है, इसकी नीयत ही नहीं है इस सरकार ने जो यह रिपोर्ट निकाली है इसकी छपाई के लिए भी इनके पास स्याही और मुद्रणालय नहीं है। इस रिपोर्ट को साइक्लोस्टाइल करवाया गया है जो कि पढ़ने में भी नहीं आता है। यह दशा हरिजनों की रिपोर्ट की है। तो इस सरकार की नीयत खराब है, अगर करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूं छात्रवृत्तियों के लिए जितना धन रखा जाये उसको खर्च किया जाये। शिक्षा हर एक के लिए फ्री होनी चाहिए। मनुष्य बुद्धि से ही अपना रास्ता तय कर सकता है। बुद्धि आंख का काम देती है। बुद्धि के विकास के लिए फ्री शिक्षा होने चाहिए। वोट लेने के लिए तो कह दिया जाता है कि इतने स्थान सुरक्षित कर दिए लेकिन उनमें से आधे भी दिये नहीं जाते हैं। नौकरी में जो स्थान सुरक्षित किये जाते है उसमें आधे भी नहीं दिये जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत नहीं है। इस देश में जीवन से ही लड़के को जाति मिल जाती है—घृणा लिए हुए उसका जन्म होता है यह देश का दुर्भाग्य है। आप की कभी यह नीयत नहीं होती कि सब को संगठित रखें, सबके अधिकारों को दें ताकि देश के अन्दर संगठन हो सके। यदि अभी भी झगड़ा नहीं होता तो राष्ट्रीयकरण नहीं होता। जब आपस में झगड़ा हुआ तो मुश्किल से बैंकों का राष्ट्रीय-

[श्री जगेश्वर यादव]

करण किया गया गया । इसी तरीके से जब पाप इकट्ठा होगा, आपस में लतिहाउज होगा तभी गरीबों की सुनवाई हो सकती है वरना नहीं हो सकती है । ये घाघ जो हैं वह सारी धरती पर, पानी पर, बिजली पर और आकाश पर कब्जा किये हुए हैं । कहते हैं कि हम चन्द्रमा तक हो आये लेकिन मनुष्य को मनुष्य का हक नहीं देते हैं । यदि आपमें मानवता है तो आप इनकी भी सुनिये और उनके साथ हमदर्दी दिखलाइये । उस जमाने में जब कि इतना विकास नहीं हुआ था, एक हलवाहा एक बढ़ई को अन्न देकर उससे अपना हल बनवाता था, दरजी को अन्न देता था तो वह उसके कपड़े सीता था । आज हिन्दुस्तान के मुट्ठी भर आदमी सारी धरती पर, सारे आकाश पर, सारी बिजली पर, सारे पानी पर और सारे आर्थिक मामलों पर कब्जा किए हुए हैं जब कि दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों में आदमी मर रहे हैं, वहां उजाला तक नहीं है । इस तरह से सरकार बेइमानी कर रही है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ।

श्री बं० ना० कुरील (रामसनेहीघाट) : सभापति महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को जो स्कालरशिप्स दी जाती हैं उस स्कीम में परिवर्तन आया है । इस परिवर्तन से उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा । इसमें तीन चार बातें हैं । एक तो 30 साल की एज लिमिट कर दी है कि उसके बाद किसी को स्कालरशिप नहीं मिलेगी । दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 45 परसेन्ट मार्क्स लाना जरूरी हो गया है । तीसरे पैरेन्ट्स की इनकम पर एकोनामिक बैरियर फिक्स कर दिया है । ये सारी चीजें जो हैं उनका बहुत बुरा असर पड़ेगा । लेकिन जिस बात का सबसे बुरा असर पड़ेगा वह यह है कि कि बजट स्टेट्स को दे दिया गया है । मैं समझता हूं स्टेट्स किसी भी समय कह सकती हैं कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इतने बोझ को उठा सकें । हरिजनों के लिए जो काम हो रहे हैं, उनकी उन्नति के जो कुछ काम हुए हैं उसमें शिक्षा का काम मुख्य था । उस काम को इससे बड़ा धक्का लगेगा । इस का पूरा अध्ययन करने से पता लगता है कि यह कोई पैसे का मामला नहीं है, इसके अन्दर कोई और बात है । इस स्कीम में जो यह परिवर्तन आया है यह बहुत जल्दी नहीं आया है बल्कि धीरे-धीरे आया है—बहुत दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा था । लगभग एक साल पहले, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर हैं, उन्होंने श्रीनगर में यह बात कही थी कि हरिजन और आदिवासी लोग जो हैं, वे जब ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तब फिर पावर में अधिकार मांगते हैं, सर्विसेज में अधिकार मांगते हैं और इस तरह से बड़ा भारी झंझट पैदा करते हैं । कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए—यह उन्होंने कान्फ्रेन्स में कहा था—कि मैट्रीकुलेट तक शिक्षा देने के बाद इनको ऊपर न उठने दिया जाये । इसी प्रकार एक और अवसर पर डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि अनएम्प्लायमेंट बढ़ रहा है—यह भी एक कारण है कि इस तरह की स्कालरशिप्स पर बंदिश लगाई जाये । यह बात बहुत अनुचित है । हो सकता है कि मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात न हो क्योंकि डिपार्टमेंट इस तरह की बात उनके ध्यान में आने नहीं देता है । इसलिए मैं मानता हूं कि यह पैसे का मामला नहीं है जिसकी वजह से हरिजन आदिवासियों की स्कालरशिप्स को कर्टेल किया जा रहा है । चूंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये लोग अधिकारों की मांग करते हैं, सर्विसेज की मांग करते हैं इसलिए हर तरह से वह इसको एवायड करना चाहते हैं । यह बहुत अनुचित बात है । मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार करें ।

एक बात और कहूंगा । यह जो डिपार्टमेंट है मन्त्रालय है वह इस बात को अपने

दिमाग से निकाल दे कि वह कोई चेरिटी देते हैं। जब तक यह बात उनके दिमाग में रहेगी वह कोई काम कर नहीं पायेंगे। इस देश में इतने लोग जो दलित हो गए हैं, शैक्षिक और बौद्धिक तरीके से इतना पिछड़ गए हैं क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? और क्या इस सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि उनको उचित शिक्षा दे? और फी स्कालरशिप दें और स्कालरशिप दे कर के उनको शिक्षित बनायें, यह क्या उन का कर्तव्य नहीं है? अगर यह कर्तव्य मानते हैं तो इस तरह की स्कीम बन जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय की जानकारी भी नहीं होगी, जो परिवर्तन इस तरह का ला दिया गया है जिसके कि भयंकर परिणाम हैं और उनकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके उपर पूरे तरीके से ध्यान दें कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इन लोगों के ऊपर जो कि अशिक्षित हैं और हर तरह से पिछड़े हुए हैं। तो यह चेरिटी का सवाल न समझ करके कि कुछ करोड़ रु० उनको दान दे रहे है, उनका भी अधिकार है, यह समझ कर के उनको दें और उनको पूरा शिक्षित करने की जिम्मेदारी लें। स्टेट्स के ऊपर न डालें यही मेरी प्रार्थना है।

SHRI C. K. CHAKRAPANI (Ponnani): At the outset I must say that this is an attack on Harijans. This is not an isolated one. This is a part of a massive attack launched by the ruling Party and vested interests. I do not want to go deep into the matter. What is happening in Telangana and Andhra Pradesh—I do not want to narrate. But here I cannot understand one thing. After 20 years of Independence why is the Government imposing these restrictions? While imposing these restrictions or conditions, the Central Harijan Welfare Board was not consulted. The Central Tribal Board was not consulted. The Consultative Committee on Social Welfare was not also consulted. I want to know from the Government why, while imposing these restrictions the Government has failed to consult these bodies.

Before dealing with these restrictions. I would like to say one thing. Previously the practice was that the entire amount of scholarship was to be given by the Centre. Now the Government has written to the State Governments that they should find the resources. They should include this item in non-plan items. Now most of the State Governments have written back that they are not in a position to place funds for scholarships. The State Governments categorically said 'No'. This is not fair.

What are the conditions? They have fixed age limit. No one is entitled to receive scholarship after 30 years. At the same time this was not practised. I do not understand why the Government has fixed this limit with regard to scholarships. Second restriction is about 45% marks. Those who want to get scholarship far post-graduate course should get 45% marks. This was not the practice. The third one is the introduction of means test. This was also not in practice.

As has been explained by Shri Patil this is a black law. I want the Government to repeal this black law. At the same time I would like to say something about the service conditions of the poor Harijans. Take for example the Civil Service. The Harijans have not got their due share. Here, in Delhi there is a Central Social Welfare Board. There are 150 people working there. But out of 150 people only one is a Scheduled Tribe and 9 Scheduled Castes. This is the pity. At the same time we are celebrating Gandhi Centenary year. So many Harijans are here, but they have not been given any real position. At the outset when we got Independence Gandhiji has told the nation that one Harijan should be made the Head of the State. That has not materialised so far. Even now the Government has not come with that proposal.

SHRI S. M. BANERJEE: They have rejected Jagjiwan Babuji.

SHRI C. K. CHAKRAPANI: What I want to stress is that these people are shedding crocodile tears.

With regard to the remarks made by Shri Muthyal Rao, it is not fair on his part to have come out with such a statement. If it has come out from the mouth of a Minister, I say he is unfit to be a Minister.

[Shri K. C. Chakrapani]

Anyway, I want Government to convene a meeting of all Harijan leaders in Parliament and discuss all these things. At the same time, I would like them to give a categorical assurance that these regulations would be repealed. Then only the advancement betterment of the Harijans can be assured.

श्री साधू राम (फिल्लौर) सभापति जी आज यह नियम 193 के अधीन स्कालरशिप का जो प्रस्ताव यहां आया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्कालरशिप पहले 1944 में मंजूर हुआ था और तब से आज कितनी मंहगाई बढ़ गई है इसका अन्दाजा किसी ने नहीं लगाया। यह स्कालरशिप पहले से 200 परसेंट बढ़ाना चाहिए था। लेकिन उसके बजाय गांधी सेन्टिनरी में एक इनाम शेड्यूल्ड कास्टों को मिल रहा है कि उनका स्कालरशिप घटाया जा रहा है। मेरे ख्याल में यह बड़ी गलत बात होगी।

एक बात और कि शेड्ल्ड ट्राइब्स के लड़कों को जो स्कालरशिप मिलती है यह सरकार की मेहरबानी नहीं है। यह तो उनका हक है। इस आजाद देश में जो लोग रहते हैं उनको अगर पुराने जमाने की तरह गुलाम रखा जायगा अनटचएबिल तथा अनपढ़ रखा जाएगा, उनको मकान के लिये जगह नहीं दी जायगी, उनकी तालीम और खाने पीने का प्रबंध नहीं किया जाएगा तो क्या देश चल सकेगा। बगावत होगी यहां। यह कोई दाव की बात नहीं है, अहसान की बात नहीं है। इन लोगों का फर्ज है कि आजादी आने के बाद उनका स्टैन्डर्ड दूसरे लोगों के बराबर करें। अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। इसमें दो रायें नहीं हैं। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि गवर्नमेंट को इस बात पर विचार करना चाहिये और ध्यान देना चाहिये। डाउन ट्रोडन लोग जो इस देश में बसते हैं उनके लिये ज्यादा पैसा रखना चाहिये।

हमारे सामने सवाल आता है प्लानिंग कमीशन का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली दफा 20 22 साल हुए पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आये उनके लिये कुछ रुपया सरकार ने मुकर्रर किया उनको बसाने के लिये, आबाद करने के लिये, उनकी तालीम के लिये। लेकिन जो हजारों साल से रिफ्यूजी बने हुए हैं, जिनकी तादाद करोड़ों में है क्या उनको आबाद करने के लिये गवर्नमेंट ने कभी ध्यान दिया? हम सोचते हैं कि उन रिफ्यूजीज को नेशनल प्रोबलम समझ कर इस देश का एक बहुत बड़ा मसला समझ कर, सारे देश को इस बात पर सोचना चाहिये कि उनके लिये ज्यादा रुपया रखा जाय। प्लानिंग में उनको इक्वल राइट्स दे कर उनको औरों के बराबर लाना चाहिये। अगर यह नहीं होगा तो कोई सरकार हो, मैं कांग्रेस के साथ हूं, उसकी आइडियालाजी मानता हूं, वह सरकार चल नहीं सकती। हमारे कुछ साथी अपोजीशन में हैं वे आपस में बैठ कर बातें करते हैं तो मुझे भी शर्म आ जाती है कि हम बैठे हैं। हमारे मिनिस्टर जो हैं जो इस राज सत्ता को लिये बैठे हैं वह इस पर कभी ध्यान नही देते हैं। हम हमेशा इसके लिये झगड़ा करते हैं लेकिन वह सोचते ही नहीं कि यह क्या कह रहे हैं। आखिर इस का नतीजा अच्छा नहीं होना है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल एक मिनट मैं अपनी बात खत्म करता हूं। यह बड़े दुःख की बात है। इन बातों को सरकार को बड़े ध्यान से देखना चाहिये। इस को नेशनल प्राब्लम समझ कर इस देश के लोगों के पढ़ने के लिये स्कालरशिप्स और दूसरी आर्थिक सहायता तथा रहने के लिये मकान मिलने चाहिये। उनके लिये कपड़े का प्रबन्ध होना चाहिये, उनके लिये रोजगार का प्रबन्ध होना चाहिये।

इस देश में सोशलिज्म को केवल नारों से नहीं लाया जा सकता। उसको करके दिखलाना होगा. वर्ना जबानी नारे देने से काम नहीं

चलेगा । मैं इसका एक ही हल समझता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर से पुरजोर अपील करता हूं कि वह इस और ध्यान दें । जब भी सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट बनता है तो कभी वह किसी मिनिस्टरी के साथ अटैच कर दिता जाता है, और कभी किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच किया जाता जैसे वह कोई आवारा-गर्दी की चीज है । मैंने अपनी हर एक तकरीर में कहा है गवर्नमेंट इसके लिये एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना कर इस बुराई को हल करे । अगर यह नहीं किया जाता है तो हम इसको टालरेट करने के लिये तैयार नहीं हैं । हमारे ला मिनिस्टर सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट के भी मिनिस्ट हैं । मैं समझता हूं कि उनके रहते हुए हमारे रास्ते में कोई अड़चनें नहीं आयेंगी । हम इसको नहीं जानते हैं कि प्लानिंग कमिशन अड़चने लगता है या फाइनेंन्स मिनस्ट्री नहीं मानती है । हम तो एक ही बात जानते हैं कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मानते हैं या नहीं । हमारीं प्राइम मिस्स्टिर मानती हैं या नहीं, हमारे देश की गवर्नमेंट मानती है या नहीं । इसका फैसला हमको जल्दी करना है ।

श्री राम चरण (खुर्जा) : सभापति महोदय, इस तरह का सर्कुलर निकाल कर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हरिजनों के हित के साथ जो कुठाराघात किया है, उसे मैं बयान नहीं कर सकता । दरअसल जहां तक मेरी नालेज में है, इसके अन्दर एक राज है । अभी पिछले सप्ताह एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन था जिसमें कुछ आंकड़े दिये गये हैं । जुलाई, 1968 से दिसम्बर, 1968 तक करीब 70,000 शेड्यूल्ड कास्ट्स के मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट तक के लड़कों का रजिस्ट्रेशन हुआ था । जहां तक हम समझते हैं, इस वक्त 3 लाख के करीब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट तक के पास लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं । यह बात सरकार की और मिनिस्टर की नालेज में भी है और शायद इसी लिये उन्होंने सर्कुलर निकाल कर पाबन्दी लगाई और उनकी एजुकेशन को रोक दिया ताकि इस देश में जो सामाजिक क्रान्ति आने वाली है, वह न आ पाये । मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी नालेज में यह बात नहीं आई क्योंकि जिस समय यह डिसिजन हुआ होगा तब कैबिनेट डिसिजन से कम नहीं हुआ होगा ।

जब हम को मालूम हुआ कि इस तरह का सर्कुलर हुआ है तब हम लोगों ने एक मेमोरेन्डम तैयार किया और एक डेपुटेशन लेकर प्रधान मंत्री से मिले । अगर प्राइम मिनिस्टर को हरिजनों से हमदर्दी होती तो उसी दिन कह देती कि हम इसको विदड्रा करते हैं । लेकिन आज तक उन्होंने विदड्रा नहीं किया ।

जहां तक मैं जानता हूं आज शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुट और पोस्ट ग्रेजुएट तक घर में बैठे हुए हैं । पहले वह अनपढ़ थे और मजदूरी करके खा सकते थे, लेकिन इस सरकार ने उसको मजदूरी के काबिल भी नहीं छोड़ा । कहने का मतलब यह है कि सरकार हरिजनों के हित की बात नहीं करती, सिर्फ उन से अपने लिये वोट मांगने की बात करती है । वह सोचती है कि अगर यह लोग पढ़ लिख गये तो फिर इस देश में कठपुतली का नाच ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा । आज तो इस देश में यह चलता है कि अगर बाप प्राइम मिनिस्टर हो गया तो उसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर होगी, बेटा प्राइम मिनिस्टर होगा । इसी तरह से जातिवाद की बात चलती है ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार वास्तव में देश का हित चाहती है तो उसको यह सर्कुलर अनकंडिशनली विदड्रा करना चाहिये, और जो भी इस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लायड हैं उनको अनएम्प्लायमेंट स्टाइपेंड देना चाहिये । आज फैमली प्लैनिंग के लिए सरकार ने हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपयों का प्राविजन कर रक्खा है । अगर इसके बजाय वह रुपया हरिजनों के हित के लिये खर्च कर

[श्री राम चरण]

दिया जाय तो इस देश का बहुत सुधार हो सकता है ।

इस सर्कुलर के अन्दर यह भी लिखा हुआ है कि स्कालरशिप जो है हरिजनों के लिये मीन्स आफ लाइवलिहुड बन गया है । मेरे ख्याल से भी हरिजन स्कालरशिप लेकर शराब नही पीता। आप जो 30,35,40 रुपया देते हैं क्या कोई आदमी उससे अपना पेट भर सकता है ? मिनिस्टर साहब ऐसे शब्द कहते हैं, इससे मुझ को दुःख होता है । बजाय इसके कि शेड्यूल्ड कास्ट्स मिनिस्टर कहे कि यह हरिजनों के लिए मीन्स आफ लाइवलिहुड बन गया है, उनको ज्यादा सुविधा देने चाहिये । आज असल में हरिजनों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है । आज लोग हरिजनों के नाम पर नारे लगाते हैं, हरिजनों के नाम पर प्रेजीडेंट के लिए वोट मांगते हैं मैं यहां पर डिक्लेअर नही करना चाहता कि किस तरह से रिऐक्शनरी फोर्सेज वर्क कर रही हैं हरिजनों के वोट खींचने के लिये । अगर सरकार को वास्तव में हमदर्दी है हरिजनों से तो उसको चाहिये कि बैंक नेशनलाइजेशन जो किया गया है उसके अन्दर प्राविजन करे कि उससे जो भी प्राफिट होगा उसका 25 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के वेलफेयर में लगाया जायगा । अगर ऐसा किया जाता तो मैं मानता कि राष्ट्रीय धन का सही उपयोग है । इसलिये मैं सरकारसे कहना चाहता हूँ, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो या किसी और की हो, कि अगर इस देश में आदिवासियों के हित की बात नहीं की गई तो आज देश के अन्दर जो ढोंगबाजी टाटा बिड़ला की और ब्राह्मणवाद चल रहा है, वह चलने वाला नहीं है । इसलिये इसको विदड्रा किया जाये ।

मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से आशा करता हूँ कि वह यहां ऐश्योरेंस देंगे कि स्टाइपेंड देने के लिये जितने भी साधनों की आवश्यकता होगी वह उनको पूरा करेंगे चाहे वह किसी भी तरह से करें । जो भी अन्नेसेसरी एक्स्पेन्डिचर आज सरकार ने बना रखे हैं उनको कर्टेल करके शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेनिफिट्स के लिये और उनको एजुकेशन देने के लिये सारे धन को खर्च करेंगे ।

मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो रेटस आज स्कालरशिप्स के दिये गये हैं वह बहुत कम है । जो रेट सन् 1848 में थे, जब मैं पढ़ता था, वही रेटस आज भी हैं । आप सोचिये कि उस जमाने मंहगाई कितनी थी और आज क्या है । आपने हम लोगों का भत्ता बढ़ाया, लेकिन मैं चाहता था कि हम लोगों का भत्ता न बढ़ाकर स्कालरशिप्स के लिये रुपयों की कमी को पूरा किया जाये । मैं यहां बतलाना चाहता हूँ कि यह 45 लाख रुपयों की बात नहीं है । यह एक पोलिटिकल स्टंट है । इसके पीछे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के एजुकेटेड लोगों के साथ षडयंत्र है । मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से यह आशा करूंगा कि वह हमें आश्वासन देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की एजुकेशन के लिये जितना भी पैसा मांगेगी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी चाहे वह 7 करोड़ की बात हो चाहे 10 करोड़ रुपयों की बात हो । चाहे 20 करोड़ रुपये की बात है ।

आखिर में मैं पूछना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट यानी पढ़े लिखे अन-एम्प्लायड हैं, क्या सरकार उनके लिये अन-एम्प्लायड वजीफे या स्टाइपेंड देने का प्राविजन करेगी ? मैंने यह विचार इस सदन के सामने इसलिये रखे हैं ताकि आज जो ढाई तीन लाख गरीब और बेकार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग पड़े हुए हैं, उनके लिये कुछ सुविधायें हो सकें ।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सभापति महोदय, आज जो दिक्कतें हैं उनको मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ । सबसे बड़ी दिक्कत

यह है कि हरिजन लड़कों, को जो पास कर के म्राते हैं, पर्सेनलिटी टेस्ट के बाद लिया जाता है। पर्सेनेलिटी टेस्ट के कोई माने नहीं हैं। जो जाति सदियों से दबी हुई है। वह कहां से पर्सनेलिटी टेस्ट में खड़ी हो सकती है? यह मेरी कांस्टिटुएन्सी में एक लड़का है जो दो दफे म्राई० ए० एस० में पास हो चुका है, लेकिन इंटब्यू में फेल कर दिया जाता है। जब हम म्रपने कांस्टिट्यूशन में वादा कर चुके हैं कि **फेम्रर फ्रील्ड ऐंड नो फेवर**, तब हमको सोचना चाहिये। दौड़ तो बराबर के लोगों की होती है। एक तो घोड़े पर सवार है म्रौर दूसरा पैदल है, तब दोनों की दौड़ बराबर कैसे हो सकती है? इसलिये कम्पिटीटीव एग्जामिनेशन के ढोंग को बन्द किया जाय म्रौर पर्सनेलिटी टेस्ट को खत्म किया जाय। पर्सनेलिटी टेस्ट के कोई माने नहीं हैं। जो यूनिवर्सिटी रिकार्ड है उसके मुताबिक उनको सर्विस में लिया जाये।

दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि म्राज तक सरकार यह समझती कि यह कोई दान है, कोई एहसान है जैसे भूमिदान, ग्रामदान वैसे ही यह धनदान है। खाता खुला हुम्रा है। यह बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। जिस हरिजन म्रौर म्रादिवासी जाति ने पहाड़ों को तोड़ कर सुरंगे कायम की हैं, रेगिस्तान को खत्म करके चमन खिलाये हैं, क्या वह दान के पात्र हैं? दान हमेशा म्रपाहिज, लूले म्रौर लंगड़े लेते हैं, वह लोग लेते हैं जो म्रपंग होते हैं। जिन लोगों ने इस देश की शान म्रौर मान को कायम रक्खा है वह दान के पात्र नहीं है। वह बराबर के हिस्सेदार हैं। म्राज यह मेंटेलिटी बदली जाय कि यह लोग देहात में इसलिये पैदा हुए हैं कि पाखाना उठायें, यह भंगी इसलिये पैदा हुम्रा है कि पाखाना उठाये, यह हरिजन इसलिये पैदा हुम्रा है कि हल चलाये। यह मेंटेलिटी किसी सिर्फ कानून से नहीं बदली जा सकती।

देहातों के म्रन्दर लाखों वर्कर चाहिये जो जाकर इस ज्योत को जगायें। गीता माता में क्या लिखा है, गीता माता का क्या हुक्म है, इसको म्राप देखें। गीता माता के हुक्म के लिये गांधी जी खड़े हुए थे। उसका हुक्म है:

विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि :
शुनिचैव श्वपाके च पण्डिता : समदर्शिन :

इस महान म्रादर्श को भुला कर म्राज झूठी शिक्षा दी जा रही है। जो सच्चा म्रादर्श है उस पर म्रमल किया जाए। ढकोंसला जो है, इसको खत्म किया जाय।

जब मैं पालियामेंट में म्राया था तब मैंने इसका सर्वे किया था। मैंने पाया था कि सिर्फ चार परसेंट जगहें इनको मिली हुई है म्रौर जो बाकी की चौदह परसेंट जगहें हैं वे इनको नहीं मिली हुई हैं। म्रठारह परसेंट में से सिर्फ चार परसेंट ही जगहें इनको मिली हुई थीं। बाकी चौदह परसेंट जगहें पुरी नहीं हुई थी। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार ही तो इसके लिए जिम्मेदार है। म्राप नए-नए नारे लगाकर इन नौजवानों की भावनाम्रों को कुचल देना चाहते हैं देश भक्तों को कुचल देना चाहते हैं। यह कभी नहीं हो सकेगा। पुराने इंजेंकशन काम नहीं कर सकते हैं। मैं श्री सूरज भान जी को बधाई देता हूं कि एक म्रच्छे मौके का उन्होंने लाभ उठा कर इस पर डिसकशन कराया है। वह हम सब की बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि इनके हकूक इनको मिल कर रहेंगे, इनके म्रधिकारों को कोई इन से छीन नहीं सकता है। पुराने इजेंकशन बेकार हो चुके हैं म्रौर ये नहीं चलेंगे।

म्राज पुरानी तदबीरों से म्राग के शोले थम न सकेंगे,

उभरे जजबे दब न सकेंगे,

उखड़े परचम जम न सकेंगे,

राज महल के दरबानों से यह सरकश तूफान रुकेगा।

चन्द किराये के तिनकों से सैले बेपायां न रुकेगा।

[श्री यशपाल सिंह]

हिन्दुस्तान के अन्दर आर्थिक क्रान्ति होगी। कोई चाहे है कि वह रुक जाए तो वह नहीं रुक सकेगी। महात्मा गांधी का स्वप्न हमारे सामने है। हम सब का फर्ज है कि प्राण पण से, जी जान से उसको साकार करें। देश से दारिद्रय को दूर करें, जनता जनार्दन की, सेवा करे और जनता जनार्दन को सही मार्ग दिखायें।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : असमय मति का को कौन। कमिंग इवेंट्स कास्ट देअर शैडो बिफोर। आज जो देश की हालत है और जो वायुमंडल है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसको देख कर भी मंत्री महोदय मुस्करा रहे हैं। जो हमारे नाविक हैं उन से ये शब्द हम को सुनने को मिलें, यह खेद की बात है। उधर से एक मेम्बर ने भी बिल्कुल ठीक कहा है। यह बहुत बड़ी पेनफुल बात हुई है हमें आशा नहीं थी कि श्री मुथ्याल राव इस तरह की बात कहेंगे। वह एक अच्छे वर्कर समझे जाते है। उनके मुंह से यह नहीं निकलना चाहिये था। हम चाहे गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। हम भीख मांग कर नहीं खाना जानते है, मेहनत करके खाना जानते हैं। भीख ब्राह्मण मांगते होंगे। कम्युनिस्टों की तरह सोशलिस्टों की तरह, जनसंघ की तरह कुछ ब्राह्मण कांग्रेस के लीडर भी हैं। लेकिन हम हाथ जोड़ कर और भीख मांग कर नहीं खाते, कमा कर खाते हैं। इस गवर्नमेंट से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। इसको यह खतरा है कि अगर हरिजन और पिछड़ी जातियां आगे आ गई तो ये इनकोरोक लेंगी। इनको घबराहट है। मैं आपको इस सम्बन्ध में नैपोलियन की बात बताता हूं। नैपोलियन ने जब इटली पर अटैक किया और जब वह जीतने लगा तो फ्रांस के बादशाह ने कहा कि वापस आ जाओ। नैपोलियन ने कहा कि मैं बाद में आऊंगा। जब वह जीत कर लौटा तो वह फ्रांस का बादशाह हो गया। इन को भी खतरा है इस तरह का।

हम में बल है, ताकत है, हम कमजोर नहीं है। मैंने यहां कहा था और फिर कहता हूं कि मुझको डिफेंस का मामला दे दो और हम पाकिस्तान और चीन दोनों को देख लेगें। एक करोड़ जवानों को हम कटवा दूंगा और देश की रक्षा की खातिर कटवा दूंगा। हम देश के रक्षक बन कर आपके सामने आएंगे। हम कमजोर नहीं हैं।

1944 के बाद आज तक कितनी मंहगाई बढ़ गई है। क्या वह दस बीस गुना नहीं बढ़ गई है? आप तब हमारे लड़कों को पच्चीस रुपये स्कालरशिप देते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप आज कितना दे रहे हैं? क्या आप ने उसको दस या बीस गुना बढ़ाया है। यह गरीबों का सवाल है, कम्युनिस्टों का या जनसंघ वालों का सवाल नहीं है। उनके स्कालरशिप के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसको आप देखें।

मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है तुम्हारी आनेस्टी। अगर आनेस्टी होती अगर गवर्नमेंट क्लीयर होती तो मजाल नहीं थी इन अफसरों की कि इस तरह की स्थिति पैदा होने देते। हम गांव में रहते हैं, हम दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है छुआछूत बरती जाती है। ये सब बातें हैं। लेकिन आपने क्या किया है। आज हमें सांस नहीं लेने दिया जाता है। अब जो हम से भी गए गुजरे हैं, उनको कहां से कोई सांस लेने देगा। इलाहाबाद में आनन्द भवन है। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी से कहना चाहता हूं कि वह इलाहाबाद में जा कर देखें कि क्या उसके चौराहों पर हमारे लड़के जो एम० ए० पास हैं, बेकार घूम नहीं रहे हैं? श्री मुथ्यालराव देखें, ला मिनिस्टर साहब देखें इसको और बतायें कि क्या मैं गलत बात कह रहा हूं? अगर मेरी बात गलत साबित हो तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। हमारे लड़के भूखों मर रहे हैं। एम० ए० और बी० ए० पास भूखों मर रहे हैं। हमारे जिले का एक लड़का आई० ए० एस० में बैठा और पास हुआ। लेकिन मैडिकल में उसको फेल कर दिया गया। परसनैलिटी टैस्ट

में इस आधार पर कर दिया गया और उसमें उसको फेल कर दिया गया कि यह काला कलूटा है। चिकनी गाल वालों से मैं कहता हूँ कि जमाना बदल रहा है और जमाने की रफ्तार को पहचानों। हमें आप काफी कुचल चुके हो। हम कमा कर खाने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि रिजर्वेशन को समाप्त कर दो, हम इनको देख लेंगे। गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। यह नारा इस देश में राज गुरु सुख देव और भगत सिंह ने दिया था। इस का हमको भी पालन करना चाहिये।

आप बड़े नारे लगा रहे हैं, बड़े क्रान्तिकारी बन रहे हैं। मैं आपको डी० एम० के वालों की बात बतलाना चाहता हूँ। मैं मद्रास में गया हूँ और मैंने वहाँ देखा है।

That is one of the best governments today in the country. The DMK people are going on well.

उनसे सबक सीखो। अभी सुबेरा है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज भी बड़े-बड़े जाल बट्टे बिछाये जा रहे हैं। सोलह तारीख को इम्तहान है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सावधान करना चाहता हूं सरकार को। हम से खिलवाड़ न करो। मुझे याद है पंडित पन्त ने अब्दुल हकीम से कहा था कि हम मुस्लिम लीग के साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन जब उसके साठ मेम्बर जीत कर आ गए तब वह बात करने के लिए बाउंड हो गए। तब जाकर पाकिस्तान बाद में बना। हम भी बिगस्ट माइनोरिटी देश की हैं। जरा होश में रहो और दिमाग को ठीक रखो। संविधान हमने लिखा है। हम से खिलवाड़ न करो। मुत्याल राव आपकी जेब में हो सकते हैं और आपके इशारों पर घूम सकते हैं, हम नहीं घूमेंगे। हम आग लगा देंगे। हमारे बच्चे तैयार हो रहे है। सूरज भान सूरज की तरह चमकेगा। देश में और झंडा ले कर घूमेंगे। सब आपको गुलाम नहीं है।

आप स्कालरशिप बच्चों के बढ़ाइये। राशि भी बढ़ाइये। घटाइये नहीं। हमारा लड़का दीये के नीचे मिट्टी के तेल के सहारे पढ़ता है। इनके बेटे फर्स्ट क्लास एयर कंडिशंड जगहों में पढ़ते हैं। अब आप बताइये कि वे टाप करेंगे या मेरा लड़का टाप करेगा। मैं मैम्बर पार्लियामेंट हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में भेज सकूं। मेरा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है। पानी में से होकर जाता है। सरकार को डूब मरना चाहिये जिस ने आज हमारी यह हालत कर रखी है। हरिजनों से मजाक मत करो। उनको आप ब्लफ न करो। मुझे याद है माउंटबेटन ने जब वह हिन्दुस्तान में आया था कहा था आई० एम० नाट ब्लफिंग यू, इंडियंज। उसी दिन हमने समझ लिया था कि हमको स्वराज्य मिलेगा। मेहरबानी करके हमें ब्लफ न करो। वर्ना खतरे की घंटी बजने वाली है। आज कोई ब्राह्मण ठाकुर आपको वोट नहीं करते हैं, कांग्रेस को वोट नहीं करता है। केवल हरिजन, कूरमी आदि ही कांग्रेस को वोट करते हैं। उसी की वजह से गांवों में आप जिन्दा हैं। हमारे बल पर आप जिन्दा हैं। हम कमजोर नहीं है। हम कमा कर खिलाते हैं, हम हल चलाते हैं, खेती जोतते हैं। हमारे साथ नक्शे बाजी न करो। शायद यह पार्लियामेंट रहे या न रहे। हमारे ये जो चार शब्द हैं ये इस दरो दीवार पर अंकित रहेंगे हमारे ला मिनिस्टर उस इलाके से आते हैं जहां हर आदमी सर सब्ज है। केरल को मैंने भी देखा है। वहां के लोगों को मैं जानता हूँ। हमें भी आप शिक्षित बना दो, योग्य बना दो ताकि हम भी अपना रोल प्ले कर सकें और वफादार सेवक देश के रह सकें।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया :

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : मुझे कितना समय मिलेगा ?

MR. CHAIRMAN : I do not mind giving more time but we have to think of others also who are waiting—the clerks, the secretaries and the watch and ward men. It is going to be 7 o'clock. The Minister will take ten minutes.

SHRI SURAJ BHAN : I will take hardly one or two minutes.

MR. CHAIRMAN : There is no right of reply for you. I will give Shri Molahu Prasad only three minutes.

श्री मोलहू प्रसाद : सभापति महोदय, छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान को दृष्टि में रखते हुए प्रारम्भ की गई थी। अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि इन लोगों को दान देना चाहिए। मांगने का मतलब होता है याचक और लेने का मतलब होता है शासक। आज स्थिति यह है कि यह सरकार देती नहीं है और इन जातियों के हाथ में ताकत नहीं है कि वे ले सकें, क्योंकि इंसाफ तो उसी को मिलता है, जिस के हाथ में ताकत होती है, जिस के हाथ मजबूत होते हैं। जिन के हाथ में ताकत होती है, वे ले लेते हैं। जैसे, धर्म तेजा ने ले लिया, बीजू पटनायक ने ले लिया, कैरों ने ले लिया। ये बेचारे तो अभी तक मोराजी देसाई के लड़के नहीं बन पाये, निजलिंगप्पा नहीं बन पाये, पाटिल नहीं बन पाये। इन को कैसे कुछ मिलेगा ?

ये नालायक तो बिना सर्टिफिकेट की जो चोरी होती है, उस मामले में भी बिल्कुल पीछे है। चोरी डकैतियों में भी बड़ी जातियों के लोग नायक बने हुए हैं। ये लोग यो चोरी-डकैती भी नहीं करते हैं।

हिन्दू धर्म-शास्त्रों में लिखा है कि पेट के लिए चोरी करना कोई पाप नहीं है। क्या कानून मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा कानून बनायेंगे कि जो आदमी भूखा मरता है, अगर वह अपने पेट के लिए चोरी करता है, तो वह कोई अपराध नहीं माना जायेगा ? क्या हिन्दू धर्म में कोई माई का लाल ऐसा करेगा ? ये लोग तो चोर और डकैत भी नहीं बन पाये हैं, ये नौकरी कहां पायेंगे ?

जैसा कि मैंने कहा है, लेने वाला हाथ बिल्कुल कमजोर है और जहां तक देने वाले हाथ का सवाल है, पहले यह व्यवस्था थी कि 500 रुपये से अधिक आय वालों को स्कालरशिप नहीं मिलेगा और अब संशोधित नियमावली में कहा गया है कि 360 रुपये की आय न्यूनतम रहेगी और 500 रुपये की आय अधिकतम रहेगी।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आयकर विभाग से यह जानकारी ले ली है कि क्या इन बाइस वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति ऊंची हो गई है। क्या उन्होंने वित्त मंत्रालय से यह पता लगा लिया है कि इन जातियों में अब तक कितने आयकर देने वाले पैदा हो गये हैं ? इसी तरह क्या उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से यह पता लगा लिया है कि इन बाइस वर्षों में क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में से एक भी वैज्ञानिक पैदा किया है ? अगर उन्होंने वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से इन जातियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की मजबूती की जानकारी नहीं ली है, तो फिर उन्होंने किस आधार पर यह काला कानून जारी किया है ?

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों पर यह जो आर्थिक और सामाजिक डंडा पड़ रहा है, क्या इस पर विचार करने के लिए मंत्री महोदय सब राज्य सरकारों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के मिनिस्टरों की एक कांफ्रेंस बुलाने जा रहे हैं, या नहीं ? वैसे तो आज-कल दिल्ली में और सब पार्टियां खत्म हो गई ; सिर्फ टी पार्टियां रह गई हैं। रोज चार पांच लिफाफे टी पार्टियों के बारे में पहुंचते रहते हैं। इस लिए मंत्री महोदय सब राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों की एक टी पार्टी बुलायें और उस में विचार करें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए क्या पग उठाये जायें।

राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाकर उस में इस बात पर भी विचार किया

जाना चाहिए दफ्तर के माध्यम से जो नौकरियां दी जाती हैं, उन के सम्बन्ध में जिस तरह शिक्षा और जाति का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसी तरह राजस्व विभाग के किसी उच्चाधिकारी द्वारा दिया गया आय का प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य कर दिया जाये और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सब से कमजोर हो, उन को नौकरियां देने के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जाये। फिर देखिये कि देश का नक्शा बदलता है या नहीं।

श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने के विषय में भी विचार करना चाहिए। आज गांवों में अनुसूचित जातियों के लोगों को रोज एक रुपया या बारह आने मजदूरी मिलती है।

जो आश्रम टाइप की शिक्षा दी जाती है, उस का मतलब क्या होता है? जिन लोगों का पेशा जरायम रहा है, उन्हीं के लड़कों को नि:शुल्क शिक्षा मिल रही है। लेकिन जिन के मां-बाप, अभिभावक, कभी जरायमपेशा में नहीं रहे हैं, खेत मजदूर हैं, उन के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है।

संविधान का अनुच्छेद 46 कहां चला गया है? कानून मंत्री तो कानून के पंडित हैं, कानून का ठेका लिये हुए हैं। क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोग सामाजिक शोषण और अन्याय से मुक्त हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों की ओर से जो ऊल-जलूल जवाब दिये जाते हैं, उन्हीं को मंत्री पढ़ देते हैं। उन की ओर से ऐसे जवाब दिये जाते हैं कि अमुक सूचना को एकत्रित करने हैं काफी समय, श्रम और धन लगेगा, जो निकलने वाले परिणाम के अनुकूल नहीं होगा।

पहले तो सरकार किसी बात को मानती नहीं है। पहले तो कहती है कि सैद्धान्तिक प्रश्न नहीं है, तो जब बहस के दौरान वह यह तर्क देते-देते थक जाति है, तो वह कहती है कि सैद्धान्तिक है, लेकिन व्यावहारिक नहीं है। जब वह व्यावहारिक कहते-कहते थक जाती है, तो कहती है कि तात्कालिक नहीं है। इस सैद्धान्तिक, व्यावहारिक और तात्कालिक, शब्द-जाल में देश का सत्यानास हो रहा है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए यह नाटक रचा गया है।

आज स्थिति यह है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में से एक भी राजदूत नहीं नियुक्त किया गया है और उन में से एक भी व्यक्ति राज्यपाल बनने लायक नहीं हो पाया है। लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति लाभ के पदों पर नियुक्त हैं, क्या मंत्री महोदय यह विवरण प्राप्त कर के सभा-पटल पर रखेंगे? अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के सम्बन्ध में पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट 10 अप्रैल को सभा-पटल पर रखी गई थी। अभी तक उस रिपोर्ट की प्रतियां छाप कर बांटी नहीं गई हैं और उस पर बहस नहीं हो पाई है।

उस के बाद जो डी० बासुमतारी कमेटी नियुक्त की गई है, स्पीकर महोदय ने अभी तक उस कमेटी का निर्देश पद क्या है यही नहीं बताया है। उन की नाक के नीचे ही सब मामला गड़बड़ है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक लोक-सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी रखे गये हैं। ये सचिवालय सारी दुनिया के लिए लोहे की दीवार जैसे हैं, जहां बम का भी असर नहीं हो सकता है।

इस प्रकार की बहुत सी कमेटियां और आयोग बनाये जाते हैं। उन की रिपोर्टें आती हैं। फिर उन रिपोर्टों को क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया है, इस पर विचार करने के लिए नये आयोग गठित किये जाते हैं। यह सब नाटक खत्म कर के सही मानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए पग उठाये जाने चाहिए।

सरकार देने वाली तो है नहीं। अगर लेने

[श्री मोलहू प्रसाद]

वाले के हाथ मजबूत होते, तो वह ले पाता। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है और जो बिना मांगे मिलता है, वह मोती के समान है। अगर हमारे हाथ में ताकत होती, तो हम ले लेते।

सभापति महोदय, आप ने इस चर्चा के लिए समय बढ़ाया, इस लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय सदस्य, श्री सूरज भान, ने इस विषय पर चर्चा का अवसर उपलब्ध किया है, इस लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON): Sixteen friends of this House have raised an eloquent voice of protest here against the conditions of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. Will you permit me, Sir, to join these sixteen friends as the seventeenth among them to speak about the difficulties of Scheduled Castes and Scheduled Tribes? I can forthwith agree that the rates of scholarship, the post-Matric scholarships, which were fixed long ago, are not relevant today and they have to be enhanced. I have put up proposals for enhancement of the rates of scholarship. You, hon. members of the House, know the method by which Government is working. Unless my proposals are accepted by the Ministry of Finance, I will not be able to do it. I can here and now tell you that the proposals to enhance the scholarships are before the Ministry of Finance and that would involve an additional amount of Rs, 4 crores per year. I am not afraid of that. I think, it should be sanctioned. I think that the scholarships, post-Matric scholarships, which we give to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students should be sufficient to enable them to carry on their education without difficulty and trouble. It was, therefore, that I said that I was the seventeenth member raising this point on behalf of the students.

A point was raised by Mr. Suraj Bhan. I am thankful to him because it gives me an opportunity to explain what the matter is. The means test existed for Scheduled Caste students for the last several years.

And the means test was that where a parent who is getting Rs. 6000 per year by way of income his children will not be entitled to get these post-matric scholarships. What was done was that this was extended to Scheduled Tribes also.

19 hrs.

AN HON MEMBER: That is our objection.

SHRI GOVINDA MENON; This was extended to the Scheduled Tribes also. In doing so, I thought what is applicable to the Scheduled Castes may be appropriately applicable to Scheduled Tribes also. Now I see that a large number of friends do object to it and as soon as I became aware of that objection, what I did was to stay that order and request the committee which we elected in Parliament to look into that matter. The matter is now being looked into by that Committee.

SHRI S. M. BANERJEE: In the mean time what will happen? The Committee may take a long time.

SHRI GOVINDA MENON: In the meantime the old order is there.

AN HON. MEMBER: It should be cancelled.

SHRI GOVINDA MENON: It is as good as cancelled. It is not in operation. The Committee whom you have elected from both the Houses may give a certain advice and I may have to discuss that matter. Therefore till the matter is being discussed, it is kept in abeyance.

Hon Shri Kandappan in his speech referred to the recommendations of the Committee not being accepted by me and all that. I say no recommendation has been received by this Committee. That is the position.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): What about the committed expenditure? There was some expenditure borne by the State.

SHRI GOVINDA MENON: Why don't you have some patience? When you write a composition, you do it in paragraphs. When you make a speech you make it point by point.

I referred to the means test. Then again, regarding the means test, my personal opinion is that this limit of Rs. 500 has to be raised. It has to be raised substantially because of the condition in the country to-day. A person earning Rs. 500 per mensem may not be able to give post-matric fees and other things to his students and, therefore, I am proposing to raise the minimum income which will disqualify the children of parents from enjoying the benefits of postmatric scholarships.

Regarding the age limit, there have been representations. After all what was done was only with respect to those persons who enter for the first time a post-matric course. It is not as if a person who is getting scholarship will cease to get it when he gets 30 years old. The rule which was issued was that if a boy or girl who has passed 30 years, joins a post-matric course, then that boy or girl will not be eligible for the post-matric scholarship. That too has been stayed. I will await the recommendation of the Parliamentary Committee. I would only request hon Members to cast away their passion and think for a moment that when there are two students—one who is 18 and one who is 35 and both of them come for admission to a post-matric class and if a State Government or the Central Government has enough money to pay only to one, whether it is desirable to pay to the candidate who is 18 or to the candidate who is 35. That is the only thing.

Normally we expect that a person who is 30 years and above would be employed in some avocation or the other. (*An hon. member* : Where is employment ?) Let me finish.

SHRI KARTIK ORAON : Scholarship is very meagre as compared to the need.

SHRI GOVINDA MENON : Let me finish.

श्री मोलहू प्रसाद : जितने आई०सी०एस० अफसर हैं रिटायर होने के बाद फिर काम पर ले लिए जाते हैं। यह क्यों लिए जाते हैं ? यह क्या बे मतलब की बातें करते हैं।

SHRI GOVINDA MENON : It was represented to me that in the case of the scheduled castes and scheduled tribes on account of their backward conditions there may be persons who may be in employment past 30 years but who would like to have post-matric concession and therefore an order to refuse scholarship to them may create certain difficulties and therefore that has also been stayed. I would accept the recommendation and advice of the committee.

The third thing is the more important one. On that matter, the position is this. It is not as if the Department of Social Welfare suddenly reduced the scholarship. (*Interruption*) Just listen, please. In the year 1968-69, the total expenditure by the Central Government on post-matric scholarship was 6.55 crores. That is, 6½ crores, let us say. Now, when the second year came, it must have gone to 7½ crores. Now, the Planning Commission stepped in. The Planning Commission said that what was being given all along and spent by the State Governments should be treated as a committed expenditure of the State Government. Now, that is the rule that is applied to all the departments. That is with respect to centrally sponsored schemes. After every 5 year plan what is spent during one year becomes committed expenditure and goes into the non-plan budget of the State Government and then what is given in addition during the next plan alone is given by the Centre. That is the scheme of things. But that scheme did not apply to the post-matric scholarship hitherto. That was introduced for the first time now by the Planning Commission and the Finance Ministry. Personally I think that it is wrong to do it, that the Central Government should continue to pay the post-matric scholarship because it is a matter of arrangement of accounts. Because, if it becomes a non-plan expenditure of a State Government then the Finance Commission will have to find that money. If it becomes the planned expenditure of the Centre then the Planning Commission will have to find the money. According to me it would be advisable that these post-matric scholarships continue to be paid as part of the plan expenditure by the Central Government from the Department of Social Welfare.

श्री मोलहू प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिस अनुपात में जितनी छात्रवृत्तियां निश्चित की जाती थीं, जितनी लैप्स हो जाती थीं, आगे भी वही चालू रहेगा ?

SHRI GOVINDA MENON : Regarding committed expenditure I am not a free agent. Shri Suraj Bhan referred to a telegram. He is right. I cannot stay the order of the Commission regarding committed expenditure. I can only write to the Government, to the Finance Ministry and the Planning Commission,

SHRI S XAVIER : The Planning Commission should have no say in this.

SHRI SHEO NARAIN : The Prime Minister is the Finance Minister now,

SHRI GOVINDA MENON : Regarding the means test and age test, I have stayed the matter. Regarding the other things, I have to take up the matter.

श्री मोलहू प्रसाद : प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में बताया कि हमको इसका पता नहीं था।

SHRI GOVINDA MENON: What I said in the Rajya Sabha was that committed expenditure is not part of the order of the Dept of Social Welfare.

It would be good to understand the position particularly when I say that I am with hon. members in this matter of bettering the lot of the students of scheduled castes and scheduled tribes.

SHRI S. KANDAPPAN : We all support him. I hope he will be able to do it. Let him fight it out.

SHRI GOVINDA MENON : The Dept. of Social Welfare has issued orders only with respect to the means test which is being extended to the scheduled tribes and the age test. I do not want to say why it was issued because there were certain State Governments which did comment upon this matter. I do not want to refer to these State Governments now. Anyhow, it was open to me not to accept the recommendation of the State Governments. But I accepted them and issued the order.

Regarding committed expenditure, I am not free to stay it because it is the order of the Planning Commission. This debate under rule 193 has been extremely useful to me and I will make use of the views expressed here to fight the cause of the scheduled caste and scheduled tribe students.

Some reference was made to unemployment among the scheduled castes and scheduled tribes, those who are qualified: There is no limit to the number of letters I have been writing to the Home Ministry with respect to this. I cannot appoint these people.

SHRI RAM CHARAN : During the unemployment period, he should provide them unemployment stipend.

SHRI GOVINDA MENON : Recently, as Minister of Law, I had to select a few persons to the Income-tax Appellate Tribunal, and although a member belonging to the scheduled castes or scheduled tribes—I do not remember which—did not come up by merit in the bracket of four or five people who were selected, I gave directions to the selecting committee that even though the marks obtained by that candidate in the interview was something less then those obtained by the others, at least one should be selected. I have great pleasure in informing you that out of the four or five selected, one, in spite of his qualifications being slightly less than that of others, has been selected. I think unless we do that, we will not be able to bring up these people.

I have also a programme to see that training is given to professional people. I am going to initiate a pilot scheme in two States—I have not selected the States—under which those who come out of law colleges and enrol themselves as advocates will be given some scholarship or stipend or help to see that for two or three years they are enabled to practise under some leader so that they get qualified. If I continue for long in the Department, my ambition will be to see that from out of these law graduates who come from the scheduled castes/scheduled tribes, we will get further Ambedkars and Bhandares who will turn out to be so competent as even to draft a Constitution for this country. That kind of thing will be possible only if we give our helping hand to these gentlemen.

Shri Bhandare raised the question of Neo Buddhists, that is, Scheduled Castes who embraced other religions. Under the Constitution only in the matter of representation in Parliament and Legislatures is there some difficulty. But regarding disbursement of educational benefits, etc. I have recom-

mended and the Cabinet has accepted that even those who leave the fold of Scheduled Castes and Tribes should be entitled to get the denefits by way of education and other things.

I am extremely thankful to Mr. Suraj bhan and others who spokc on this occasion revealing to me and to the House the various aspects of the difficulties of the Scheduled Castes and Tribes.

19. 16 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August, 13 1969/Sravana 22, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Daryaganj, Delhi-6.